भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

जनरल कौंसिल बैठक

15 – 18 जुलाई, 2006
रांची, झारखण्ड

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियो,

भोपाल में दिसम्बर 2005 में आयोजित कार्य समिति की बैठक के बाद राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। हमारे लिए इस ओर ध्यान देना जरूरी हो जाता है।

2. हमारी स्वतंत्र विदेश नीति को विदा कह दिया गया है; यह एक गम्भीर घटना है। भारत सरकार ने ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम के मामले में जो रुख अपनाया है वह स्पष्ट तौर पर स्वतंत्र विदेश नीति को छोड़ दिए जाने को दर्शाता है। भारत सरकार ने ईरान के खिलाफ अमरीका की शत्रुतापूर्ण कार्रवाईयों की आलोचना करने से इन्कार कर दिया है; उसने अपनी नाभिकीय प्रौद्योगिकी का विकास करने से ईरान को रोकने के लिए फौजी कार्रवाई की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया है।

3. इस अवधि में अमरीका के राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने भारत का दौरा किया। सरकार ने उनके दौरे के प्रति भारी उत्साह का प्रदर्शन किया। दोनों सरकारों के बीच अनेक संयुक्त उद्यामों के बारे में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। किन्तु लोगों में उनके दौरे के प्रति कोई उत्साह नहीं था। वामपक्षी दलों तथा कुछ प्रतिपक्षी दलों और श्रमिक संघों एवं किसानों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं इत्यादि जन संगठनों के आह्वान पर देश भर में इसके खिलाफ जलसों, जुलूसों, प्रदर्शनों का आयोजन किया गया था। वाम पक्षी दलों एवं कुछ प्रतिपक्षी दलों के सांसदों ने बुश के दौरे के खिलाफ संसद की कार्रवाई को ठप्प कर दिया था। उनके रुख को देखते हुए सरकार ने संसद में बुश का भाषण कराने से संकोच किया था।

4. भारत सरकार अमरीका को खुश करने के चक्कर में न केवल विदेश नीति बल्कि हमारी आंतरिक नीतियों को भी बदल रही है। यह राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की अवधारणा, जनता के हितों और देश की सुरक्षा के हितों के खिलाफ है। भारत–अमरीका संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत–अमरीका सामरिक भागीदारी, भारत–अमरीका व्यापार नीति मंच, भारत–अमरीका सीईओ मंच, कृषि के क्षेत्र में भारत–अमरीका ज्ञान पहल बोर्ड इत्यादि अमरीका के साथ किए गए विभिन्न समझौते देश की प्रभुसत्ता और आत्म निर्भरता के लिए नुकसानदेह हैं। ईरान से ईरान–पाकिस्तान के रास्ते भारत में गैस लाने के उद्यम को अमरीका के दबाव में आकर एक तरह से छोड़ ही दिया गया है और मंत्रिमण्डल ने तुर्कमीनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान गैस पाइपलाइन समझौते में शामिल होने का फैसला कर लिया है।

5. अमरीका के साथ नाभिकीय सहयोग समझौता किया गया। अमरीका इस समझौते की आड़ में भारत पर दबाव डालता है और उसे अपनी मनमानी शर्तें मानने के लिए मजबूर करता है। इससे हमारे घरेलू संसाधनों के आधार पर नाभिकीय प्रौद्योगिकी को विकसित करने की हमारी स्वतंत्र क्षमता का नाश होगा और हम परमाणु ऊर्जा के मामले में अमरीका के आश्रित हो जाएंगे। नाभिकीय प्रौद्योगिकी के आयात के मामले में स्थायी रूप से उस पर निर्भर करने लग जाएंगे। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, परमाणु समझौते के लिए अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने के लिए भारत अमरीका से भारी मात्रा में हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है।

राजनीतिक बदलाव

6. पश्चिम बंगाल, केरल, तमिल नाडु, असम तथा पांडिचेरि की राज्य विधान सभाओं के हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस अपनी ताकत को बढ़ा नहीं सकी। उनकी सफलता केवल पांडिचेरि और असम तक ही सीमित रही है। असम में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकी है किन्तु पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। फिर भी असम में कांगेस के नेतश्त्व वाली गठबंधन सरकार का गठन हुआ है और तमिलनाडु में डीएमके के नेतत्व में नयी सरकार बनी है; केन्द्र में यूपीए को इससे सहायता मिलेगी। उसकी स्थिरता को फिलहाल कोई खतरा नहीं है।

7. विधान सभाओं के चुनावों में भाजपा को अपनी खोई प्रतिष्ठा बहाल करने में अधिक सहायता नहीं मिली। भाजपा ने केवल असम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई; वहां उसे अपने वोट प्रतिशत तथा विधान सभा में अपनी सीटों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी करने में सफलता मिली है। भले ही भाजपा बिहार में सत्ताधारी गठबंधन का सहयोगी दल है और कर्नाटक में वह कुमारस्वामी सरकार में शामिल हो गया है फिर भी उसके शीर्ष नेताओं में मतभेद बरकरार हैं। उमा भारती, मदनलाल खुराना, बाबूलाल मरांडी इत्यादि नेताओं के विद्रोह और महाजन परिवार के मामले में शीर्ष नेताओं के भीतर असमंजस की स्थिति ने इस साम्प्रदायिक दल की किरकिरी कर दी है। एनडीए भी पहले से कमजोर हुआ है। एजीपी तथा नेशनल कान्फ्रेंस ने एनडीए को छोड़ दिया है। तेलगू देशम तथा अन्ना द्रमुक ने भी भाजपा से अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। जनता दल (यू) भी अपना रुख बदल रहा है। क्योंकि वह बिहार में सरकार चला रहा है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है इसलिए वह एनडीए को नहीं छोड़ेगा।

8. इन परिस्थितियों में भाजपा तथा कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए 'राष्ट्रीय विकल्प' तैयार करने का अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए मुलायम सिंह यादव तथा चन्द्रबाबू नायडु ने पहलकदमी की है। उन्होंने दावा किया है कि असम गण परिषद, नेशनल कान्फ्रेंस तथा अन्ना द्रमुक भी इस अभियान में समाजवादी पार्टी तथा तेलगू देशम के साथ हैं। उन्हें आशा थी कि असम तथा तमिलनाडु राज्य विधान सभाओं के चुनावों में असम गण परिषद तथा अन्ना द्रमुक को सफलता मिलेगी। पर चुनाव परिणामों ने उन्हें निराश कर डाला।

9. वाम पक्षी दलों का रुख यह है कि केवल कुछ दलों का गठबंधन बन जाने मात्र से ही तीसरा विकल्प तैयार नहीं किया जा सकता; यह विकल्प सांझी नीतियों पर आधारित हो और संयुक्त मंच के लिए मिल जुल कर काम करने से इसे तैयार किया जा सकता है। केवल वामपक्षी विकल्प ही यह काम करने में सक्षम है।

10. पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनावों में सातवीं बार वाम मोर्चे को विजय मिली है, उसे तीन चौथाई बहुमत मिला है और बहु दलीय व्यवस्था में यह एक असाधारण सफलता है। केरल में वाम एवं लोकतांत्रिक मोर्चे को दो–तिहाई बहुमत के साथ विजय मिली है। यह भी वाम पक्षी शक्तियों की एक उपलब्धि है। तमिल नाडु तथा असम में भी वाम पक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा है; यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इन चुनाव परिणामों ने देश की राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ा है और वाम पक्ष की हस्तक्षेप करने की क्षमता और मजबूत हुई है।

साम्प्रदायिकता की स्थिति

11. साम्प्रदायिक शक्तियों का खतरा बहुत अधिक है। ये ताकतें बहुत अधिक सक्रिय हैं; वे ऐसा कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहीं जहां वे साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़का सकती हों और इसके चलते साम्प्रदायिक हिंसा होती हो। इन ताकतों को आंतरिक तौर पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किन्तु इस पर भी साम्प्रदायिक स्थिति खराब होती चली जा रही है विशेष तौर पर भाजपा द्वारा शासित राज्यों में। गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में अल्प संख्यकों पर हमलों में बढ़ोतरी हुई है। अलीगढ़ में भी साम्प्रदायिक हिंसा भड़काई गई जो कुछ दिनों तक चलती रही थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के निदेशों का पालन करते हुए अडवानी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था; उन्होंने उसके बाद भी वाराणसी में बम विस्फोटों के बाद अपनी माडल रथ निकाल कर अपनी ताकत का अहसास कराया है। भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी रथ यात्रा निकालने से खुद को रोक नहीं सके, किन्तु लोगों ने इसमें उत्साह नहीं दिखाया और प्रमोद महाजन की हत्या का बहाना बना कर यह कार्यक्रम वापस ले लिया गया। भाजपा तथा दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतें शिक्षा में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे का भी बेजा लाभ उठा रही हैं और इसे साम्प्रायिक मोड़ देने की कोशिशों में लगी हुई हैं।

असल विकल्प की दिशा में

12. इस पृष्ठभूमि में, असल विकल्प की तलाश करने की जरूरत बढ़ गई है; यह स्वाभाविक है। भाजपा के नेतश्त्व में जन विरोधी नीतियों का पालन करने वाला गठबंधन एनडीए सत्ता से बेदखल हो चुका है। भाजपा इस समय हताशा की स्थिति में है; वह लोगों का विश्वास फिर से हासिल कर लेगी, इसकी आशा वह कर नहीं सकती। वर्ष 2004 के आम चुनावों से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उन सबसे यही पता चलता है कि केन्द्र में मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अधिकाधिक वाम पक्ष के निर्णायक समर्थन पर निर्भर करना पड़ेगा। ये घटनाएं साफ तौर पर इस बात के महत्त्व को दर्शाती हैं कि सत्ताधारी श्रेणियां अपनी विचारधाराक पकड़ के बल पर जनता को अपने साथ नहीं रख सकतीं। हाल ही के विधान सभा चुनावों में वाम दलों को सफलता मिली है; वे फिर से सत्ता में आ गए हैं; कांग्रेस तथा भाजपा दोनों कोई सार्थक लाभ हासिल करने में सक्षम नहीं रहे। तीसरा विकल्प जिसका दृष्टिकोण जन पक्षीय हो और जो साम्राज्यवाद के विरोध में दृढ़ रुख अपनाए, के उभरने की सम्भावनाएं उज्जवल हैं। इस स्थिति में सत्ताधारी श्रेणियों की पकड़ को और कमजोर करने की प्रक्रिया में तेज लाने और वर्तमान में जारी प्रतिगामी आर्थिक नीति एवं कार्रवाईयों का रास्ता पूरी दृढ़ता के साथ रोक देने के काम में श्रमिक वर्ग को अपराजेय भूमिका निभानी होगी। मौजूदा नीतियों की सत्ता की दिशा में बदलाव लाने के संघर्ष में लिए मेहनतकश अवाम की सभी श्रेणियों को लामबंद करने के लिए श्रमिक वर्ग को जबरदस्त पहलकदमी करनी होगी तभी जन पक्षीय विकास के ढांचे के असल विकल्प को उभारने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो सकेंगी और उनके लिए रास्ता साफ हो सकेगा। अब समय आ गया है जब सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग को इस दिशा में लामबंद करने के लिए सीआइटीयू को पहलकदमी करनी होगी।

आर्थिक स्थिति

13. यूपीए सरकार द्वारा नव–उदारवादी सुधारों को जारी रखा गया है; स्वाभाविक रूप से इसका दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था तथा जनता पर पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था की हालत पहले कभी इतनी खराब नहीं थी जब सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 8 प्रतिशत दर हासिल कर लिए जाने के बाद भी बेरोजगारी तथा रोजगार हीनता बढ़ रही है। उनमें बढ़ोतरी की दर जनसंख्या में वृद्धि की दर से भी अधिक है। दूसरी ओर जन साधारण में गरीबी तथा वंचना की स्थिति का संकट गहराता चला जा रहा है; इसके चलते देश के अनेक भागों में लोगों की ओर से आत्महत्याएं किए जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर लखपतियों की संख्या बढ़ रही है; ये लखपति समाज की एक बहुत छोटी श्रेणी हैं और मैरिल लिंच द्वारा प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान इन लखपतियों की संख्या में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है; उनकी संख्या 70,000 से बढ़ कर 83,000 हो गई है। नव–उदारवादी आर्थिक सत्ता के अलावा और कोई सत्ता इतने प्रभावी ढंग से लोगों की हालत बद से बदतर नहीं कर सकती।

14. इन जन विरोधी नीतियों के चलते देश में 2003–04 में अनाज का उत्पादन 21.32 करोड़ टन हुआ था किन्तु सरकार की नीतियों के कारण 2004–05 में यह उत्पादन कम हो कर 19.84 करोड़ टन रह गया है। वर्ष 2005–06 का अनुमानित उत्पादन 21.00 करोड़ टन है; यह अब भी 2003–04 से कम है। यूपीए सरकार अब भारी मात्रा में गेहूं का आयात करने जा रही है; निजी क्षेत्र की एजेंसियों को सरकार के समानांतर अनाजों की खरीद करने की अनुमति दे दी गई है; इन सब के चलते देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। सभी अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त उछाल आया है। इसके परिणामस्वरूप गरीब तथा साधारण लोगों की कठिनाईयां बहुत बढ़ गई हैं; सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनाजों के दाम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। गांवों में असंतोष बढ़ता चला जा रहा है; आत्महत्याएं करने वाले किसानों की संख्या बहुत बढ़ गई है; यह चौंका देने वाली स्थिति है। ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र की इस बेहद गम्भीर स्थिति से निपटने की जरूरत इस सरकार अभी तक महसूस नहीं की है।

15. सरकार कर ढांचे का नए सिरे से निर्धारण करने की उचित और व्यावहारिक मांग को अनसुना कर रही है और इसकी बजाए उसने पेट्रोल तथा डीज़ल के मूल्यों में और बढ़ोतरी कर दी है; इसका प्रपाती दुष्प्रभाव पड़ेगा और सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे।

16. सार्वजनिक क्षेत्र के मुनाफा देने वाले विशाल उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश तथा निजीकरण की कार्रवाई को जारी रखा गया है। इनमें प्रतिरक्षा, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कम्पनियां, टेलीकाम, हवाई अड्डे, कोयला, तेल तथा खनिजों के क्षेत्र भी शामिल हैं। सरकारी विभागों का नैगमकरण और निजीकरण किया जा रहा है। खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने की कोशिशें चल रही हैं; इसके फलस्वरूप हमारे देश के हजारों–लाखों विक्रेताओं तथा छोटे कारोबारियों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी; बीमार और घाटे पर चलने वाले किन्तु सम्भावित रूप से जीवनक्षम उपक्रमों का पुनरुद्धार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। भारत के बैंकों जिनमें निजी क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं, को विदशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की झोली में डालने के लिए कानूनों को बदला जा रहा है। यद्यपि वामपक्षी दलों, श्रमिक वर्ग तथा उनके साथ–साथ श्रमिक संघों द्वारा इसका जोरदार प्रतिवाद किए जाने के कारण कुछेक कार्रवाईयों को रोकने में सफलता मिली है फिर भी सरकार की ये कार्रवाईयां जारी हैं। सरकार ने कृषि फार्मो में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन कानूनों को लागू करने और सभी खेतिहर श्रमिकों के लिए सर्वसमावेशी संरक्षणात्मक कानून बनाने का वादा पूरा नहीं किया है। यही हश्र असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए गारंटीशुदा न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार गारंटी सहित उनके कल्याण और बेहतरी को सुनिश्चित बनाने के लिए कानून बनाने के वादे का हुआ है।

वर्ष 2006–2007 का केन्द्रीय बजट

17. यूपीए सरकार के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया वर्ष 2006–07 का बजट पिछले वर्ष विकसित किए गए पैटर्न के अनुरूप था। यह पैटर्न खुद उन्होंने ने ही विकसित किया था। बजट को एक मामूली मामला बना कर और आर्थिक सुधारों के एजेंडे को पूरे साल के दौरान रह–रह कर जारी किए जाने वाले कार्य पालिका के फरमानों के जरिए, आगे बढ़ाया जाए। बजट से ठीक पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में इस तरह के सुधारों का एक अनिष्टसूचक मार्गचित्र पेश किया गया था। इसमें इसकी वकालत की गई है कि खेती की पैदावार के लिए मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा सार्वजनिक खरीद की प्रणाली को छोड़ कर, वैकल्पिक उत्पाद बाजारों का विकास किया जाए। इसके परिणामस्वरूप, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित निजी व्यापारी ग्रामीण अनाज मण्डियों में अपनी हकूमत चलाते हैं। सरकार अनाज की खरीद करने के कार्यक्रम को पूरा करने में विफल रही है जिसका नतीजा यह निकला कि देश में अनाजों का अतिरिक्त भण्डार नियमों के अनुसार जितना होना चाहिए, उससे भी कम हो गया है। इसके चलते सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाजों की आपूर्ति में भारी कटौती हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। सरकार इसका बहाना बना कर अतिशय मूल्यों पर विदेश से अनाज का आयात कर रही है। ये मूल्य हमारे किसानों को दिए जाने वाले खरीद मूल्यों से कहीं अधिक हैं।

18. बजट में पेन्शन सुधारों का सुधाव दिया गया है जो वास्तव में सामाजिक सुरक्षा के निजीकरण का ही दूसरा नाम है; उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के लिए दरवाजे और चौपट खोलने का और खनन क्षेत्र में निजीकरण की कसरत और तेज करने का पक्ष लिया गया है; पेट्रोलियम तथा पेट्रोल उत्पादों के मामले में बाजार द्वारा निर्धारित कीमतों के पक्ष में तर्क दिया गया है और रसोई गैस तथा मिट्टी के तेल पर सब्सिडी के जारी रहने पर खेद व्यक्त किया गया है। बजट में संकेत दिया गया है कि 184 आइटमों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित आइटमों की सूची से बाहर किया जाएगा और उसमें 'घरू खनन' को पुनर्परिभाषित कर, कोयला खनन के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। बजट में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, राज मार्गो जैसे सामरिक महत्त्व में ढांचागत क्षेत्रों में तथा पेट्रोलियम की खोज तथा शोधन, बिजली इत्यादि क्षेत्रों में भी, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही तरह के निजी नियंत्रण को बढ़ावा दिए जाने के संकेत दिए गए हैं। इसके साथ ही बजट आवश्यक मालों तथा लागत सामग्री पर सब्सिडियों को लक्ष्यबद्ध करने (खत्म करने) पर आम राय बनाने की कोशिश करता है और सामाजिक क्षेत्र पर किए जाने वाले खर्चो की कथित गुणवत्ता पर जोर देता है। इस तरह, बजट में इस सरकार की असली नीयत भी साफ कर दी गई है कि वह गरीबों पर तथा आम आदमी पर, अपना खर्चा घटाना चाहती है।

19. यद्यपि बजट में नए कर नहीं लगाए गए हैं अथवा कर की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, वहीं आम आदमी को कोई राहत भी नहीं दी गई है। कल्याणकारी सुविधाओं तथा आवास सुविधाओं पर करों के बोझ से राहत देने की आम लोगों की मांग को अनसुना कर दिया गया है। इसके विपरीत बजट कर के कवच को विस्तश्त करने और कर–राहत एवं आय कर अधिनियम के अन्तर्गत आय कर से छूट देने के विभिन्न प्रावधानों के नाम पर सेवानिवश्त्त व्यक्तियों तथा लघु बचतें करने वाले लोगों के समुदाय सहित वेतन भोगी श्रेणी को मिलने वाली कर राहत को छीन

लेने के लिए कार्य पालिका की कार्रवाई की सम्भावना से इन्कार नहीं करता।

20. दूसरी ओर, इसकी कोई कोशिश नहीं की गई है कि धनी तथा सम्पन्न तबकों पर कर लगा कर, सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी की जाए, जबकि सकल घरेलु उत्पाद में बढ़ोतरी के लगभग सारे के सारे लाभ उन्हीं के हिस्से में आए हैं। इससे राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के जनहितकारी वादों के लागू किए जाने के सम्बन्ध में गम्भीर आशंकाएं पैदा हो जाती हैं और इनमें असंगठित क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र के मेहनतकशों से सम्बन्धित वादे भी शामिल हैं। दूसरी ओर, घरेलू कच्चे तेल पर महसूल में बढ़ोतरी का सार्वजनिक तेल क्षेत्र पर, जोकि कच्चे तेल का उत्पादन करता है, प्रतिकूल असर पड़ेगा।

21. वित्त मंत्री ने इससे संतोष हासिल करने की कोशिश की है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कर राजस्व, 2003–04 के 9.2 प्रतिशत से बढ़ कर, 2005–06 में 10.5 प्रतिशत पर पहुंच गया है। लेकिन, उन्होंने इस सच्चाई को छुपा लिया है कि यह आंकड़ा चालू बाजार की कीमतों पर आधारित है जबकि सकल घरेलू उत्पाद की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है। नैगम इकाईयों के भारी कर बकाया तथा उनके द्वारा मारे गए बैंक ऋणों की उगाही के सम्बन्ध में एक शब्द तक नहीं कहा गया।

22. आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था के ग्रसे बैठे बेरोजगारी के परिदृश्य का जिक्र किया गया है। यद्यपि इसके माध्यम से भी बाजारों को नियंत्रण मुक्त करने की मुहिम की ही वकालत करने की कोशिश की गई है। लेकिन बजट में कोई भी वास्तविक रोजगार–अनुकूल कदम दिखाई नहीं देता। इसका एक ही अपवाद है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए आबंटन का उल्लेख। लेकिन, इसे ज्यादा से ज्यादा एक राहत कार्यक्रम ही माना जा सकता है। अर्थव्यवस्था में टिकाऊ रोजगार का सृजन करने के लिए, ठोस कदमों की जरूरत है।

23. प्रकटतः कुछ मदों में आबंटन में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कुल मिला कर, बहु–प्रचारित भारत निर्माण के बहुचर्चित कार्यक्रमों के लिए आबंटन सिर्फ 50,015 करोड़ रुपए रखा गया है। यह 5,63,991 करोड़ रुपए के कुल बजटीय खर्च का 8 प्रतिशत से भी कम बैठता है।

24. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बनाने की बजाए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया है। स्वाभाविक रूप से शहरी गरीब और निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों को बाहर कर दिया गया है। यह अधिनियम गांवों में रहने वाले सभी गरीबों और निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए भी लागू नहीं होता। इस योजना को लागू करने के लिए देश में केवल 200 जिलों को चुना गया है। जहां यह योजना 10,170 करोड़ रुपए के केन्द्रीय योजनागत व्यय के साथ शुरू की गई है वहीं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की राशि को कम करके 4,950 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए 4,050 करोड़ रुपए रखे गए थे किन्तु इस बार उसे पूरी तरह खत्म करके उसके स्थान पर एनआरईजी को लागू कर दिया गया है। इस एनआरईजी के लिए 10,170 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस तरह इन कार्यक्रमों के लिए आबंटित राशि में से 9,000 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं।

25. तटकरों में भारी कटौती के चलते होने वाली राजस्व हानि का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मिश्र–धातु इस्पात तथा खनिजों के मामले में तटकर में कटौती, घरेलू इस्पात व खनन उद्योग के लिए बाधाएं खड़ी करेगी।

26. वित्त मंत्री ने इसकी शेखी मारी है कि घरेलू बचतों की वृद्धि दर बढ़ कर 29.1 प्रतिशत हो गई है। लेकिन वास्तव में, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में रेखांकित किया गया है, पारिवारिक बचतें वास्तव में बढ़ने की जगह घटी ही हैं और यह ब्याज की नियंत्रित दरों के घटाए जाने और विभिन्न बचत साधनों को अंतिम चरण में काराधान के दायरे में लाए जाने के प्रस्तावों से सीधे–सीधे जुड़ा हुआ है। बजट में म्युचुअल फण्डों के लिए विदेशों में निवेश बढ़ा कर 2 अरब डालर तक करने के लिएही रास्ते खोले गए हैं और इस सिलसिले में परस्पर (रेसीप्रोकल) शेयरधारकता के प्रावधान में भी ढील दी गई है। इसकी कोशिश है कि नैगम लॉबी तथा विदेशी ऋण बाजारों को हमारी घरेलू बचतों में उभार कर फायदा पहुंचाया जाए। इसमें इसके अनिष्टकर संकेत छुपे हुए हैं कि संसाधनों में बहिर्प्रवाहों को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था बाहरी धक्कों के लिए और वेध्य हो जाएगी।

27. कुल मिला कर 2006–07 का बजट विनाशकारी आर्थिक सुधारों के आगे बढ़ाए जाने के एक और चरण का

ही संकेत करता है और जो पेश करता है, उससे ज्यादा छुपा लेता है।

पूंजी की पूर्ण परिवर्तनीयता

28. प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक तौर पर भारतीय रुपए की पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता (सीएसी) के मार्ग पर भारत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। सरकार की इस कार्रवाई से हमारी अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा।

29. वर्ष 1993 से मौजूदा खाते पर रुपया परिवर्तनीय है। यही कारण है कि 1991 में एक अमरीकी डालर की तुलना में रुपए का आधिकारिक तौर पर अवमूल्यन हो जाने पर भी मौजूदा प्रधान मंत्री ने उस समय वित्त मंत्री के रूप में अपने 'आर्थिक सुधारों' को शुरू कर दिया था और रुपए को 'फ्लोट' करने की अनुमति दे दी गई। उस समय एक अमरीकी डालर की तुलना में रुपए का मूल्य 14 रुपए से बढ़ कर 17 रुपए हो गया था। इसके परिणामस्वरूप रुपए का अनधिकृत तौर पर और अधिक अवमूल्यन हो गया था और एक अमरीकी डालर की तुलना में रुपए का मूल्य लगभग 46 रुपए हो गया। यह काम रुपए की विनिमय दर की अनुमति देने के नाम पर किया गया और विदेशी मुद्रा बाजारों में मुद्राओं के मूल्यों की बढ़ोतरी एवं गिरावट के आधार पर रुपए के मूल्य का निर्धारण होगा।

30. वर्तमान में, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को विशेष नियमों के अन्तर्गत पूंजी पर विदेशी मुद्रा का अन्तर्वाह और बहिर्वाह की अनुमति देनी पड़ती है। भारत सरकार की ओर से घोषित नीतिगत निर्णयों के फलस्वरूप इस के नियामक तंत्र को नर्म बना दिया गया है। कुछेक उदाहरणें देना चाहेंगे; भारत में रहने वाले परिवार देश के बाहर विदेशी बैंकों में 25,000 अमरीकी डालर तक की धन राशि जमा करा सकते हैं; भारतीय कम्पनियां जिनमें म्युचुअल फण्ड भी शामिल हैं, विदेशी प्रतिभूतियों और शेयरों में धन का निवेश कर सकती हैं; भारतीय निगमों को आउट बाउंड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में अपना धन दूसरे देशों में ले जाने की अनुमति है इत्यादि इत्यादि। इसी लिए इसे रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता कहा जाता है।

31. पूर्ण पूंजी के खाते की परिवर्तनीयता नहीं होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक अपने पास विदेशी मुद्रा का भण्डार रखता है। रुपए की विनिमय दर में जब बढ़ोतरी और गिरावट का रुझान अधिक तेजी के साथ चलने लगता है तब भारतीय रिजर्व बैंक को दखल देना पड़ता है और वह विदेशी मुद्रा को बेचता है अथवा खरीदता है। भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भण्डार में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं को जमा रखना बुद्धिमत्ता का काम नहीं होता; उसे इन मुद्राओं का निवेश विदेशी प्रतिभूतियों विशेष तौर पर अमरीका में करना होता है।

32. भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति दिए जाने से भारत की कम्पनियों को सहायता मिलेगी; वे खुल कर विदेशी मुद्रा खरीद सकेंगी और पूरे विश्व में कम्पनियों तथा सरकारों के शेयरों एवं बांडों में उनका निवेश कर सकेंगी। इससे भारत में काम करने वाली विदेशी कम्पनियों को भी सहायता मिलेगी। वे अपना धन अपनी इच्छा के अनुसार विदेश में किसी भी स्थान पर ले जा सकेंगी।

33. इसमें पूंजी के अन्तर्वाह की बजाए विदेशों में उसके बहिर्वाह की सम्भावनाएं अधिक हैं। भारतीय धन का बहिर्वाह कहीं अधिक होगा। इसके नतीजे के तौर पर रुपए का मूल्य अमरीकी डालर, युरो और दूसरी विदेशी मुद्राओं की तुलना में सीधे तौर पर नीचे गिर जाएगा। इसका परिणाम देश के विदेशी मुद्रा भण्डारों के अचानक खत्म हो जाने के रूप में भी निकल सकता है। नब्बे के दशक के मध्य में 'एशिया के शेरों' की अर्थव्यवस्थाओं में इसी तरह का संकट देखने को मिला था; उस समय उन देशों की सरकारें असहाय अवस्था में थीं और बस चुप चाप तमाशा देखने के लिए मजबूर हो गई थीं। क्योंकि उस समय भारतीय मुद्रा पूरी तरह परिवर्तनीय नहीं थी इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को इस संकट की मार से बचा लिया गया था। विशेषज्ञों की समिति ने इस पूरे मामले पर विचार करने के बाद ही पूर्ण परिवर्तनीयता लाने से पहले कुछ विशेष सावधानियां रखने की सलाह दी है।

34. भारत के शेयर बाजार में हाल ही में जो संकट पैदा हुआ था उसने नियामक तंत्र को जारी रखने अथवा उसे और अधिक सख्त बनाने की जरूरत को उजागर कर दिया है। उसके स्थान पर इस समय पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता की दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। किन्तु यूपीए सरकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के दबाव में आकर

पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करने के लिए उतावली है।; वह इसके विनाशकारी दुष्परिणामों को नहीं देख रही। इसका जोरदार विरोध करना होगा।

शेयर बाजार की चंचलता

35. भारत में शेयर बाजार ने हाल ही में बहुत अधिक अस्थिरता एवं चंचलता का प्रदर्शन किया है। इस वर्ष मई में जबरदस्त गिरावट आते देखी गई। सेनसेक्स उछल कर 12000 बिंदुओं से आगे चला गया।

36. वित्त मंत्री ने शेयर बाजार के इस संकट के लिए 'मीडिया की एक श्रेणी पर दोषारोपण करते हुए कहा था कि उन्हें इसके समाचार ही नहीं मिले'। वह घबराहट में आकर अमरीकी फण्ड मैनेजरों की ब्लैकमेलिंग के आगे झुक गए; उन्होंने सीधे तौर पर भारत सरकार उनके शुल्कों पर लगे करों में कोई बढ़ोतरी न करे। इस पर वित्त मंत्री ने जल्दबाजी में विदेशी संस्थागत निवेशकों को समग्र रूप में 'निवेशकों' के रूप में वर्गीकृत कर दिया 'व्यापारियों' के रूप में नहीं। यह वर्गीकरण उनके द्वारा दिए जाने वाले प्रबंधन शुल्क पर कर लगाने के सीमित से उद्देश्य से भी उन्हें बरी कर दिया गया।

37. वित्त मंत्री ने इस प्रक्रिया में विदेशी संस्थागत निवेश तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बीच के अंतर को भी समाप्त कर दिया। तर्क यह दिया गया कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का यहां (भारत में) स्थाई निवास नहीं है। यह तर्क भी संदेह से परे नहीं है। जहां विदेशी संस्थागत निवेशकों की यहां भौतिक उपस्थिति नहीं है वहीं दूसरी ओर वे भारत के स्टाक बाजार में कारोबार करके भारी लाभ कमाते हैं और यह पूरी कमाई अपने साथ ले जाते हैं। इस स्थिति में वित्त मंत्री का यह तर्क अपने आप गलत साबित हो जाता है कि उन पर सीमित उद्देश्यों के लिए भी कर नहीं लगाया जा सकता जिसके बारे में सीबीडीटी की ओर से परिपत्र जारी किया गया था और नोटिस दिए गए थे। विदेशी वित्तीय पूंजी के अन्तर्वाह पर पूर्ण निर्भरता और उसके प्रति सरकार का दासत्व भाव की मौजूदा स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था की भेद्यता को पूर्ण रूप से व्यक्त करती है; यह स्थिति उदारीकरण के मौजूदा चरण के चलते पैदा हुई है।

38. यह स्थिति मांग करती है कि यूपीए सरकार तथा विशेष तौर पर वित्त मंत्री अपनी आत्म आलोचना करें। स्टाक मार्किट का कभी बुलंदियों को छूना और कभी रसातल में चले जाना; केवल यही कारक हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती मापने वाला बैरोमीटर नहीं हो सकता।

39. वित्त मंत्री देश के कर दाताओं का अधिक से अधिक दोहन करने के लिए नए–नए रास्ते खोजने के लिए जाने जाते हैं। विशेष तौर पर वेतन भोगी श्रेणी उनके निशाने पर रहती है। वह उन्हें मिलने वाले भत्तों पर भी कर लगाने से नहीं चूकते। उन्होंने लघु बचतों, भविष्य निधि इत्यादि समय समय पर मिलने वाले ब्याज के लाभों पर भी कर लगाने का प्रस्ताव किया है। किन्तु जब सट्टा बाजारियों और विदेशी निवेशकों की बारी आती है तो वह खुशी खुशी उन्हें अनुचित लाभ भी दे देते हैं।

40. हमें एफआइआइ का अनुचित पक्षपोषण करने वाली इस नीति का पूरे जोर से विरोध करना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि वह अमरीका के साथ आय कर समझौते को सार्वजनिक करे और इसके प्रावधानों की फिर से समीक्षा करे। हमें मार्शियस के साथ दोहरे कर से बचने सम्बन्धी समझौते की समीक्षा करने की मांग पर भी जोर देना चाहिए जिसके चलते अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी को भारत के शेयर बाजार में कर से मुक्त होकर काम करने का मौका मिल जाता है और वे सट्टा बाजार के सौदों में भारी लाभ कमाते हैं।

प्रतिगामी कार्रवाईयां जोर पकड़ रहीं हैं

41. इस समीक्षा अवधि में आर्थिक नीति के मोर्चे पर सरकार की ओर से विशेष निर्णायक कदम उठाए गए हैं। सरकार की ये प्रतिगामी कार्रवाईयां जोर पकड़ रही हैं। कुछ समय तक शांत बैठने के बाद यूपीए सरकार ने एक बार फिर से सार्वजनिक क्षेत्र की *'नव रत्न'* इकाईयों के साथ–साथ मुनाफा देने वाली दूसरी इकाईयों में विनिवेश की जोरदार मुहिम शुरू कर दी है। जहां केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पहले ही नाल्को तथा नैयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (एनसीएल) के शेयर बेचने का फैसला कर लिया है वहां सेबी के दिशा निदेशों का पालन करने के नाम पर सेल के 10 प्रतिशत शेयरों को बेचने की बात चोरी छिपे आगे बढ़ाई जा रही है।

42. देश के खुदरा व्यापार को विदेशी खिलाड़ियों के लिए खोलने की कार्रवाईयां चल रही हैं; इस मामले में सरकार ने पहले से ही सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए नीति सम्बन्धी घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। हमारे देश में कृषि के बाद खुदरा व्यापार सर्वाधिक रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। छोटे दुकानदारों तथा छोटे एवं मंझौले व्यापारियों जिनकी संख्या कुछ करोड़ है, देश की बीस प्रतिशत श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करते हैं; वे देश के सकल घरेलू उत्पाद में उसके सातवें भाग का योगदान देते हैं और वे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार करते हैं। लाभकारी रोजगारों का अभाव होने के कारण देश में चार करोड़ लोग अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इस क्षेत्र में काम के लिए चले आते हैं। इसलिए यह क्षेत्र ''बंधुआ रोजगार'' का एक क्षेत्र बन गया है। देश में खुदरा व्यापार का नैगमकरण होने के परिणामस्वरूप पहले ही निचले स्तर पर खुदरा व्यापार की लघु इकाईयां बर्बाद काफी हद तक हो चुकी हैं जिसका नतीजा उसमें काम करने वाले लोगों की विशाल संख्या की आजीविका की क्षति के रूप में निकला है। खुदरा व्यापार में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश से छोटे एवं मंझौले व्यापारी तबाही के कागार पर पहुंच गए हैं। इस प्रक्रिया ने उनकी हालत बद से बदतर कर दी है। सरकार की नीति के चलते दो करोड़ रुपए (यह सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि यह कारोबार बढ़ कर दस करोड़ रुपए का हो जाएगा) वार्षिक कारोबार करने वाले इस क्षेत्र पर वाल–मार्ट तथा दूसरी विशाल काय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस क्षेत्र पर कब्जा करने में सहायता मिली है।

43. खुदरा व्यापार का नैगमकरण और विदेशीकरण छोटे कारोबारियों को बर्बाद कर देगा; उनका स्थान बड़े व्यापारी ले लेंगे; वे उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के बीच अपने धन बल का उपयोग करके दोनों हाथों से इस क्षेत्र की लूट मचाएंगे। उत्पादकों को उनके उत्पादों पर वाजब कीमत नहीं मिलेगी और उपभोक्ता वही सामान महंगे मोल पर खरीदने के लिए मजबूर होगा। दूसरे देशों जहां खुदरा व्यापार का नैगमकरण किया गया था, का अनुभव यही दर्शाता है कि इन बड़े व्यापारियों ने सुपर मार्किट श्रश्ंखलाओं को बढ़ावा दिया है; वे उसे संरक्षण प्रदान करते हैं; वे एक इजारेदार ताकत के रूप में काम करने लग जाते हैं और इसके चलते उन देशों में छोटे एवं मंझौले दर्जे का खुदरा व्यापारियों की दुकानों पर ताला लग चुका है। खुदरा व्यापार में शामिल विदेशी खिलाड़ी अनेक उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए संगठित अभियान चलाएंगे और आयातों में और तेजी लाएंगे। इसका दुष्प्रभाव सम्बन्धित क्षेत्र में स्वदेशी उद्योगों पर पड़ेगा; दूसरी ओर इस क्षेत्र में बड़े व्यापारियों की घुसपैठ हो जाएगी – विशेष तौर पर कृषि के क्षेत्र में। निचले स्तर पर असल उत्पादक इन बड़े व्यापारियों की दया पर निर्भर करने लग जाएंगे और ये बड़े अपनी शर्तों पर उनका सामान खरीदेंगे और अपनी मर्जी का मोल उन्हें देंगे। यह स्थिति हमारे देश की अर्थव्यवस्था और न ही उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के हित में नहीं है।

श्रमिकों की स्थिति

44. राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया था, *''संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 'ऑटोमेटिक हायर एण्ड फायर' के विचार को अस्वीकार करता है। इसका मानना है कि श्रम कानूनों में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती है लेकिन ऐसे परिवर्तनों से कामगारों और उनके परिवारों के हितों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। ये परिवर्तन ट्रेड यूनियनों के साथ पूरा विचार–विमर्श करने के बाद ही किए जाने चाहिएं।''* किन्तु वर्ष 2005–06 का आर्थिक सर्वेक्षण कुछ इस तरह की टिप्पणी करता है, ''...भारत के श्रम कानून श्रमिकों तथा श्रम बाजारों को बेहद सुरक्षा देने वाले हैं। श्रम बाजार अपेक्षाकृत अलोचनीय हैं अर्थात् वे नमनीय नहीं हैं। ये कानून केवल संगठित क्षेत्र में ही लागू होते हैं। ये कानून श्रम की गतिशीलता को बाधित करते हैं और इसके फलस्वरूप...।'' एक ओर राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में घोषणा की गई थी कि कामगारों और उनके परिवारों के हितों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरी ओर आर्थिक सर्वेक्षण इस प्रतिबद्धता का पूरा निषेध करता है।

45. सरकारी एजेंसियां मीडिया के माध्यम से कामगारों तथा उनके श्रमिक संघों के खिलाफ कुत्सा प्रचार अभियान चलाया जा रहा है; यह बताया जा रहा है कि कामगार तथा उनके श्रमिक संघ विकास एवं सुधारों के खिलाफ हैं; वे विकास तथा समृद्धि लाने की कोशिशों में खल नायकों वाली भूमिका निभा रहे हैं। जब कभी कोई हड़ताल होती है तो यही कहा जाता है कि श्रमिकों की कार्रवाई के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। किन्तु सेवायोजक अथवा मालिक लोगों की कार्रवाईयों और तालाबंदियों के बारे में क्या समाचार है? वर्ष 1999 में हड़तालों के कारण 106.2 लाख मानव–दिवसों की क्षति हुई किन्तु इसके विपरीत तालाबंदियों के कारण 161.6 लाख मानव–दिवसों की क्षति हुई थी; एक बार फिर 2004 में तालाबंदियों के कारण 190.4 लाख मानव–दिवसों की क्षति हुई किन्तु इसकी

तुलना में हड़तालों के कारण केवल 48.3 लाख मानव दिवसों की क्षति हुई थी। मानो तालाबंदियों की घटनाओं जो हड़तालों से कहीं अधिक होती हैं, के कारण उत्पादन की क्षति नहीं हुई और न अर्थव्यवस्था के लिए ये तालाबंदियां आघातपूर्ण थीं? किन्तु जानबूझ कर इसे उभारा नहीं जाता।

46. श्रम कानूनों का घोर उल्लंघन हो रहा है। वास्तव में, केन्द्रीय तथा अधिकांश राज्यों की सरकारें श्रम कानूनों के उल्लंघन की कार्रवाईयों को बढ़ावा देती हैं; पूंजी की ताकतें देशी तथा विदेशी दोनों इसका पूरा लाभ उठाती हैं। संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों और यदि श्रमिक अपनी यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं तो पूरी ताकत के साथ इन कोशिशों को नाकाम बना दिया जाता है; जहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, वहां पर भी यूनियन बनने से रोकने के लिए इसी तरह के हथकण्डे अपनाए जाते हैं। इस काम में राज्य सरकारें तथा उनके अधिकारी गण सेवायोजकों को पूरा सहयोग देते हैं। इस तरह के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां श्रम विभाग ने यूनियनों का पंजीकरण करने से मना कर दिया। पंजीकरण हो जाने पर भी प्रबंधन यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके औद्योगिक विवादों का समाधान नहीं करते। विवाद उठाए जाने पर भी अनेक मामलों में श्रमायुक्त उनके निपटारा करने के उद्देश्य से सम्बन्धित पक्षों की बैठक बुलाने के लिए पहलकदमी नहीं करते। यदि किसी तरह उनके द्वारा पहलकदमी करने पर कछेक समझौते हो जाते हैं तो भी प्रबंधन उन समझौतों को लागू नहीं करता।

47. सरकार ने 2001–100 को आधार मान कर औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नयी श्रृंखला जारी करने के मामले में एक और मनमानी कार्रवाई की है। उसने शर्मनाक ढंग से सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा सर्वसम्मति से किए गए विरोध की अनदेखी करके यह कदम उठाया है। मूल्य सूचकांक की नयी श्रृंखला को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य मूल्य स्थिति को कम करके दिखाना है जिसके चलते करोड़ों मजदूरों की मंहगाई भत्ते की पात्रता में भारी कमी आ जाएगी और वे अपनी उचित क्षतिपूर्ति से वंचित हो जाएंगे। सभी श्रमिक संगठनों को संयुक्त रूप से सूचकांक समीक्षा समिति का गठन करने की मांग करनी चाहिए और श्रम मंत्रालय से लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा जारी सूचकांक की नयी श्रृंखला वापस लेने की मांग करनी चाहिए। हमने मांग की है कि इसी बीच पहले नियमों के अन्तर्गत ही 1982 की श्रश्रृंखला के सम्पादन और प्रकाशन का काम जारी रखा जाए।

48. सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि, जीपीएफ, सीएमपीएफ, पीपीएफ तथा लघु बचत योजनाओं में देय ब्याज दरों को कम कर दिया है; इसका दुष्प्रभाव साधारण श्रमिक तथा बरिष्ठ नागरिकों पर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने उसे और कम करके 7.5 प्रतिशत करने का संकेत दिया है। यह पूरी तरह अतर्कसंगत और अन्यायपूर्ण है। सरकार पेन्शन निधि में श्रमिकों एवं कर्मचारियों की जमा राशियों को सट्टा मार्किट के जुआरियों की झोली में डालने के लिए पेन्शन सुधार की अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के मामले में अब भी हठधर्मिता से काम ले रही है। इस सम्बन्ध में वह भविष्य निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण अर्थात् पीएफआरडीए के स्थान पर नया कानून लाना चाहती है।

49. देश में कानून लागू कराने वाले अभिकरणों का रुख पहले कभी इतना निरंकुश और दमनकारी नहीं रहा है। वास्तविकता तो यह है कि श्रमिकों से सम्बन्धित 90 प्रतिशत से अधिक विवाद इसलिए पैदा होते हैं कि श्रम कानून लागू ही नहीं किए जाते। श्रमिकों से दिन में बारह घण्टे काम लिया जाता है और अतिरिक्त काम करने पर अतिरिक्त वेतन का भुगतान नहीं किया जाता; देश के अधिकांश भागों में कामकाजी स्थलों पर यह रोजमर्रा की बात बन चुकी है।

50. न्यायपालिका – निचली अदालत से लेकर शीर्ष अदालत तक – सेवायोजकों की श्रेणी के पक्ष में एक के बाद एक फैसला जारी करती चली जा रही है; श्रमिक वर्ग ही उसके निशाने पर रहता है। यदि श्रमिक अपने जनवादी अधिकारों का उपयोग करते हैं तो भी अदालत का फैसला उनके पक्ष में नहीं होता। अदालतों की ओर से दिए गए श्रमिक विरोधी फैसलों के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए श्रमिक संघ लम्बे समय से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं किन्तु सरकार उनकी बात सुन ही नहीं रही।

51. प्रतीत होता है कि सरकार अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली श्रम शक्ति का औपचारिकीकरण करने के दिशा में कोई काम नहीं कर रही बल्कि इसके विपरीत वह औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली श्रम शक्ति का अनौपचारिकी करण जरूर कर रही है।

संविदाकरण और आउटसोर्सिंग

52. संविदाकरण तथा आउटसोर्सिंग की बीमारी तेजी से फैल रही है। इसके दुष्परिणामस्वरूप श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या अस्थायी श्रमिक बन कर रह गई है। पिछले दरवाजे से 'हायर एण्ड फॉयर' की व्यवस्था लागू की जा रही है। कामकाजी स्थलों में इतनी तेजी से कामगारों का संविदाकरण तथा अस्थायीकरण हो गया है कि इसके चलते कामकाजी वातावरण बद से बदतर हो गया है। श्रमिक आंदोलन के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो गया है और श्रमिक आंदोलन अपने जोखिम पर ही इस खतरे की अनदेखी कर सकता है।

53. कामकाजी स्थलों में फॉस्ट ट्रैक संविदाकरण होने के कारण श्रम शक्ति का पूरा स्वरूप ही तेजी से बदल रहा है। सार्वजनिक इकाईयों केन्द्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर, कुल श्रम शक्ति में ठेका मजदूरों अथवा संविदा श्रमिकों की गिनती आम तौर पर पहले ही 50 प्रतिशत से ऊपर जा चुकी है। किसी सेक्टर विशेष की स्थिति का उल्लेख करना हो तो पेट्रोलियम सेक्टर को लिया जा सकता है; इस सेक्टर में संविदा श्रमिकों की संख्या कुल श्रम शक्ति का लगभग 70 प्रतिशत भाग है। इन संविदा श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों की तुलना में कम पारिश्रमिक दिया जाता है; यह एक तथ्य है; इस पर भी उत्पादन के नियमित कामों के लिए अधिकतर संविदा श्रमिकों अथवा ठेका मजदूरों को काम पर रखा जाता है। अत्यंत पारिष्कृत एवं मशीनीकृत उत्पादन के क्षेत्रों में भी संविदा श्रमिकों की भर्ती अधिक से अधिक की जाती है; ये संविदा श्रमिक शाप फ्लोर पर स्थायी श्रमिकों वाला काम करते हैं। यह घातक रुझान खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। अनेक स्थानों पर श्रमिक संघों को इस विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

54. निजी क्षेत्र में तो हालत इससे भी कहीं अधिक बुरी है। निजी क्षेत्र की इकाईयों विशेष तौर पर उन इकाईयों में जो 1991 के बाद उभरी थीं, ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल श्रम शक्ति में 90 प्रतिशत से भी अधिक होती है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में काम करने वाले स्थायी और अस्थायी श्रमिकों के वेतनों में भी अंतर होता है और वे अलग–अलग होते हैं। देश में औद्योगिक रोजगार के क्षेत्र में रोजगार का यह ढांचा पाया जाता है। इस ढांचे के अन्तर्गत 'हायर एण्ड फॉयर' की अनुमति दे दी गई है; असल में इसका लाभ मालिकों को होगा और वे जब चाहे इस सुदर्शन चक्र को चला कर श्रमिकों के रोजगार का सिर कलम कर सकते हैं।

55. सेवायोजकों अथवा मालिक लोगों की जरूरतों के अनुसार इस समय देश में ठेका मजदूरी के अनेक रूप उभर रहे हैं। इस्पात, इंजीनियरिंग तथा केपिटल गुड्स सेक्टर और स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में एक तरह का रोजगार–अनुबंध की व्यवस्था बन रही है; इस व्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया के एक भाग को किसी दूसरे अभिकरण के हवाले कर दिया जाता है; उसके द्वारा यह काम करने की दर (पैसे) पहले ही निर्धारित कर ली जाती है। रोजगार–अनुबंध की व्यवस्था करके प्रधान नियोक्ता श्रमिकों के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों से बच जाता है। यद्यपि ठेके पर काम करने वाला अभिकरण अथवा एजेंसी यह काम प्रधान नियोक्ता के लिए ही कर रही होती है।

56. नव–उदारवादी आर्थिक सत्ता के अन्तर्गत उत्पादन एवं संचालन की व्यवस्था का विकेन्द्रीयकरण हो रहा है; उसे अनेक भागों में बांटा जा रहा है। इसके फलस्वरूप रोजगार का ढांचा बदल रहा है। सेवायोजक–श्रमिकों के बीच के सम्बन्ध अधिक से अधिक कल्पनातीत बनते चले जा रहे हैं; उनका कोई अर्थ नहीं होता और उनके बीच सीधा सम्बन्ध भी नहीं होता। इसका लाभ उठा कर प्रधान नियोक्ता उत्पादन का पूरा लाभ हड़प कर लेता है; श्रमिकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी न के बराबर हो जाती है; उसे इसका और अधिक लाभ मिलता है। रोजगार सम्बन्धों में बदलाव का यह रुझान; आर्थिक सत्ता और सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण मौजूदा नव–उदारवादी सत्ता का विशेष लक्षण है। पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त मूल्य अर्जित करने का यह सबसे अधिक बर्बर तरीका अथवा स्वरूप है। कार्य पालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए आपस में मिल कर इन निरंकुश, दमनकारी एवं बर्बर रोजगार सम्बन्धों को मजबूत बना रही हैं।

57. कामकाजी स्थलों में रोजगार सम्बन्धों के इस क्षण भंगुर ढांचे में श्रमिकों का यूनियनकरण करना अधिकाधिक कठिन होता चला जा रहा है। एक ऐसा वातावरण बन गया है जहां श्रमिकों को लूट मार करने वाली व्यवस्था में न चाहते हुए भी समझौते करने पड़ रहे हैं; भले ही ये समझौते अस्थायी ही क्यों न हों। इस तरह के मामले भी देखने को मिल रहे हैं जहां संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी तथा स्थायी प्रकृति के कामों में ठेका मजदूरों को रखा गया; उसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर हुई लेकिन श्रमिकों ने खुद याचिका दायर

करके अदालत से स्थगन आदेश मांगा गया क्योंकि इसके चलते उनके रोजगार की क्षति हो रही थी। इसी तरह, स्थायी श्रमिकों के भीतर एक अवसरवादी प्रवृत्ति भी पैदा हो रही है; वे उसी कामकाजी स्थल में काम करने वाले संविदा श्रमिकों के मामले में उदासीन बने रहते हैं। इसके कारण ठेका मजदूरी की प्रथा जारी रहती है और इसका नुकसान स्थायी श्रमिकों के आंदोलन को भी होता है।

58. श्रमिक आंदोलन को एक उपयुक्त कार्य नीति बना कर इस स्थिति का सामना करना होगा अन्यथा यह आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा; भले ही यह चरण अस्थायी ही क्यों न हो। उत्पादन की प्रक्रिया के सबसे निचले स्तर पर उत्पादक बनाम उत्पादन का लाभ हासिल करने वालों के बीच के सम्बन्धों पर आधारित रोजगार सम्बन्धों को पुनर्परिभाषित करने के लिए कानूनी कार्रवाई कराने के उद्देश्य से अपनी मांगों का निर्धारण करने के लिए हमें मौजूदा स्थिति का गहरा अध्ययन करना होगा। इसके साथ ही हमें संविदा/आकस्मिक/अस्थायी श्रमिकों संगठित करने के लिए उपयुक्त कार्य नीतियां बनानी होंगी। इसके लिए हमें कार्य स्थलों और कार्य स्थलों के बाहर अथवा श्रमिकों के घरों में भी जाकर कठोर मेहनत करनी होगी।

59. कामकाजी स्थलों में श्रम शक्ति के संविदाकरण अथवा अस्थायीकरण के इन विभिन्न रूपों के इस अभिशाप का मुकाबला करने के लिए हमें एक एकीकृत समझ विकसित करनी होगी। संविदा श्रमिकों की समस्याओं का प्रभावशाली ढंग से निराकरण करने और सांगठनिक तथा आंदोलन दोनों दृष्टियों से उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विचार विमर्श करने और इस पर कोई कार्य नीति बनाने के लिए जुलाई 2005 को नाशिक में आयोजित सीआइटीयू जनरल कौंसिल की बैठक में संविदा श्रमिकों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने के बारे में सोचा गया था। इसे अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका। यह बहुत जरूरी है। हमें इस बैठक में इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह निर्णायक महत्त्व का मामला है।

रोजगार के शोषणकारी स्वरूप

60. सरकार श्रमिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है। वह बड़ी आसानी से उन्हें श्रमिकों के रूप में मान्यता देने से इन्कार करके अपना पल्लू छुड़ा रही है। सैंकड़ों–हजारों श्रमिकों को केन्द्रीय एवं राज्य स्तरों पर रखा जाता है; उनसे विभिन्न प्रकार का काम लिया जाता है; किन्तु उन्हें 'समाज सेवक' 'सामुदायिक सेवक' 'स्वयं सेवक' इत्यादि कहा जाता है। इस तरह के श्रमिकों में कामकाजी महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। हमारे सामने आंगनवाड़ी महिलाओं की उदाहरण है; इन्हें तथाकथित रूप से 'अंश कालिक समाज सेवक' कहा जाता है। यद्यपि व्यवहार में वे दिन में 6–7 घण्टे काम करती हैं और काम के आदेश राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों द्वारा संचालित समेकित बाल विकास योजना के अधिकारियों से लेती हैं। हजारों कामकाजी महिलाएं विशेष तौर पर जन जातीय क्षेत्रों में 'सामुदायिक स्वास्थ्य सेविकाओं' के रूप में काम करती हैं; ये महिलाएं समेकित जन जातीय विकास अभिकरणों के अन्तर्गत काम करके स्वास्थ्य, समय–समय पर स्वास्थ्य की जांच कराते रहने के मामले में लोगों में जागरूकता लाती हैं; वे उनमें मलेरिया जैसे रोग की रोकथाम के लिए दवाओं का वितरण करती हैं; किन्तु उन्हें इसके बदले में अत्यंत अल्प मानदेय 500 रुपए अथवा उससे थोड़ा कम या अधिक राशि का भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत हजारों महिलाओं को 'आशा' (मान्यता प्राप्त समाज स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के रूप में भर्ती किया जाता है। उनका काम होता है लोगों में जागरूकता लाना, स्वास्थ्य जांच के कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा दवाओं का वितरण करना इत्यादि। वे वही काम करती हैं जो आंगनवाड़ी महिलाएं करती हैं। सरकार चाहती है कि ये सभी महिलाए बिना किसी पारिश्रमिक के यह काम करें। केवल उनके आने–जाने का खर्च उन्हें दिया जाएगा। इसी तरह शिक्षा विभाग में भी हजारों नौजवानों को 'शिक्षा स्वयं सेवकों' के रूप में भर्ती किया जाता है और उन्हें बेहद कम मानदेय दिया जाता है। इस तरह सरकार खुद नौजवानों में बेरोजगारी की स्थिति से लाभ उठा रही है; वह उनका शोषण करती है; उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक देती है; ये नौजवान इसी आशा में काम करते रहते हैं कि एक न एक दिन उनकी सेवाओं को मान्यता मिल जाएगी।

नमनीय श्रम बाजार के लिए कोशिशें

61. श्रमिक आंदोलन द्वारा विरोध किए जाने पर भी यूपीए सरकार विभिन्न श्रम कानूनों में सेवायोजकों के पक्ष में बदलाव लाने के अपने इरादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उसने विभिन्न विधेयकों में श्रमिक विरोधी प्रावधानों को जोड़ दिया है; ये विधेयक पहले ही संसद में पेश किए जा चुके हैं अथवा उन्हें पेश करने की

प्रक्रिया अभी चल रही है। इस पृष्ठभूमि में श्रमिक आंदोलन की ओर से एक व्यापक अभियान चलाया गया है। वाम दलों के प्रतिनिधियों ने संसद में लगातार दखल देकर इन कार्रवाईयों का विरोध किया है। कुछेक मामलों में उन्हें श्रमिक विरोधी विधेयकों पर आगे की कार्रवाई को रोकने में सफलता भी मिली है।

62. विशेष आर्थिक अंचलों (एसपीजैड) सम्बन्धी विधेयक में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों को एसपीज़ैड में स्थापित उपक्रमों को सभी श्रम कानूनों के दायरे से बाहर करने के लिए अधिकार देते हैं। वाम दलों द्वारा संसद में इसका घोर विरोध किया गया। इसके कारण इस श्रमिक विरोधी प्रावधानों को विधेयक में से निकाल देना पड़ा था। उसके बाद ही यह कानून बन सका था।

63. छोटे तथा मंझौले उपक्रमों सम्बन्धी विधेयक संसद में पेश किया गया। इस विधेयक में छोटी एवं मंझोली इकाईयों के सेवायोजकों को विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने से छूट देने, इंस्पेक्टरों का निरीक्षण बंद करने तथा सेवायोजकों की ओर से खुद को प्रमाण पत्र दिए जाने की व्यवस्था जैसे प्रतिगामी अनुच्छेद जोड़े गए थे। सीआइटीयू ने दूसरी यूनियनों के साथ मिल कर विधेयक में से इन प्रतिगामी अनुच्छेदों को निकालने की मांग की थी। उसने यह मांग भी की थी कि नए विधेयक के प्रावधान के अन्तर्गत 'लघु, छोटे और मंझौले उद्योगों के लिए एक विकास बोर्ड का गठन किया जाए और इस बोर्ड में श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों का शामिल किया जाए। आखिर, सरकार को इस विधेयक के मामले में श्रमिक संघों की सभी मांगें मान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

64. संसद में अभी कुछ और विधेयक पेश किए जा चुके हैं; ये अभी पारित नहीं हुए; इन विधेयकों में भी अनेक श्रमिक विरोधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। श्रम कानूनों (केन्द्रीय उपक्रमों को रिटर्न भेजने और रजिस्टर रखने से छूट दिए जाने) से सम्बन्धित संशोधन एवं प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 2005 अभी तक लम्बित पड़ा है। इस विधेयक के अन्तर्गत सेवायोजकों को विभिन्न रिटर्न भेजने, रजिस्टर रखने, उपक्रम की स्थिति पर वक्तव्य दिए जाने से छूट दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान अधिकतर कर्मचारियों तथा रोजगार की स्थितियों के बारे में हैं; इस तरह सेवायोजकों को व्यापक स्तर पर श्रम कानूनों का उल्लंघन करने की ताकतें प्रदान की जा रही हैं। यही नहीं, इस विधेयक में एक सामान्य अनुच्छेद जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत सेवायोजकों को विभिन्न प्रकार की छूटें दिए जाने के बाद भी किसी भी उपक्रम को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देने का अधिकार केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों को प्रदान करता है। संक्षेप में, कानून तथा कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने के नाम पर लाए जा रहे इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत उनकी अधिकतर जिम्मेदारियों से मुक्त करना है। श्रमिक आंदोलन को पूरी दृढ़ता और ताकत के साथ इस विधेयक का विरोध करना चाहिए। वास्तव में, सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने 22 जून, 2006 को आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में इस विधेयक का जम कर विरोध किया था।

65. संसद में पेश किए जा चुके उपरोक्त विधेयकों के अलावा यूपीए सरकार श्रम कानूनों में बदलाव अथवा कामकाजी स्थलों में 'हायर एण्ड फॉयर' की सत्ता लागू करना चाहती है। इसके लिए वह बहुआयामी मार्ग अपना रही है। बार–बार मांग किए जाने पर भी सरकार ने 'सावधि रोजगार श्रमिक' सम्बन्धी अधिसूचना वापस नहीं ली है; यह अधिसूचना पूर्ववर्ती एनडीए सरकार की ओर से जारी की गई थी। श्रम मंत्री ने जुलाई 2005 को संसद में आश्वासन भी दिया था पर इस पर भी यह मामला जस का तस बना हुआ है। भारतीय श्रम सम्मेलन के दिसम्बर 2005 में आयोजित 40 वें सत्र में सभी श्रमिक संगठनों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में सेवायोजकों के पक्ष में बदलाव लाने के सरकार के सुझावों को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया था। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने इस पर भी 21 जून, 2006 को आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में इन प्रतिगामी सुझावों को आगे बढ़ाया था। उद्योग मंत्रालय ने एक बार फिर तथाकथित 'मैन्युफैक्चरिंग इनवेस्टमैंट जोन' (एमआइआर) विकसित करने के लिए पहलकदमी की है; इसके अन्तर्गत सभी श्रम कानूनों को 'सरलीकरण' के संदिग्ध नाम पर निष्प्रभावी बना दिया जाएगा।

अन्य विधेयक

66. श्रमिकों से सम्बन्धित विधेयकों के अलावा दो और विधेयक लम्बित पड़े हैं; इन विधेयकों पर संसद में विचार किया जाना है; इन विधेयकों में कुछ खतरनाक बातें भी हैं। एक विधेयक पेन्शन निधि विकास एवं नियामक प्राधिकरण विधेयक (पीएफआरडीए) है। उस विधेयक का प्रधान उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा 'पारिभाषित लाभ' की पेन्शन योजना को बदल कर उसके स्थान पर 'पारिभाषित अंशदान' की पेन्शन योजना लाना है जो नए भर्ती होने

वाले लोगों के लिए 1–1–2004 से लागू होगी। इसका कुत्सित उद्देश्य सभी पेन्शन एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करना और सामाजिक सुरक्षा के श्रमिकों के अंशदानों की जमा राशियों को सट्टा बाजार में लगाना है। श्रमिक आंदोलन ने सरकार ने इन विनाशकारी इरादों का घोर विरोध किया है। वाम पक्षी दलों ने भी यूपीए सरकार को बता दिया है कि वे इस विधेयक के घोर विरोधी हैं।

67. दूसरा विधेयक बैंकिंग नियामक विधेयक है। उसका प्रधान उद्देश्य निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी शेयरधारकों के 10 प्रतिशत मताधिकार की मौजूदा सीमा को समाप्त करना और उन्हें उनके शेयरधारण के अनुपात के अनुसार मताधिकार प्रदान करना है। पूर्ववर्ती एनडीए सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति पहले ही दे दी थी। नया विधेयक यदि पारित हो जाता है तो बैंकिंग क्षेत्र के बहुराष्ट्रीय दैवों को भारत में बैंकों का अधिग्रहण करने की अनुमति मिल जाएगी और वे देश के वित्तीय क्षेत्र में मनमानियां करने की छूट भी उन्हें मिल जाएगी। हमारे वित्तीय क्षेत्र को इससे गहरा नुकसान होगा और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय क्षेत्र के विदेशी दैव देश के भीतर बचतों की हमारी विशाल धन राशियों जिन्हें हमने अपने लाभ एवं भलाई के लिए इकट्ठा किया था, को हड़प लेंगे। देश के अंदर पूंजी के गठन के स्त्रोत सूख जाएंगे; विदेशी खिलाड़ी इसका बेजा लाभ उठाएंगे और हमें ब्लैकमेल करेंगे। वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल की जुझारू कार्रवाईयों और सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन के घोर विरोध की पृष्ठभूमि में वाम पक्षी दलों ने सरकार को बता दिया है कि वे बैंकिंग नियामक विधेयक के प्रतिगामी प्रावधानों का घोर विरोध करते हैं।

संघर्ष बढ़ रहे हैं

68. इस मध्यावधि में श्रमिकों तथा कर्मचारियों द्वारा अनेक शक्तिशाली संघर्ष किए गए हैं। कुछेक संघर्षों के कारण सरकार को विशेष मुद्दों पर पीछे हटना पड़ा है। बीएसएनएल कर्मचारियों के संयुक्त संघर्ष और जनवरी में देशव्यापी हड़ताल के लिए उनकी आक्रमक तैयारियों को देखते हुए बीएसएनएल को *'नव रत्न'* कम्पनी का दर्जा देने तथा उसके कापर केबल नैटवर्क को बंद न करने जैसी उनकी मांगें सरकार को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा।

69. कोयला खदानों के मजदूरों ने पिछले वेतन समझौते को लागू कराने के लिए सरकार को हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। कोयला मंत्री को आखिर कोयला खदानों में सक्रिय श्रमिक संघों के साथ समझौता करना पड़ा।

70. इसी तरह केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों और रेलवे श्रमिकों ने छटे वेतन आयोग के गठन की मांग पर जोर देने और दूसरी मांगों के लिए एक मार्च से हड़ताल करने का नोटिस संयुक्त रूप से दिया था। सरकार ने इसके प्रति पूर्णतया नकारात्मक रुख अपना रखा था। किन्तु देशव्यापी हड़ताल की तैयारियों के चलते कर्मचारियों के आंदोलन को जो गति मिली उसे देख कर यूपीए सरकार को अपना संकोच छोड़ कर छटे वेतन आयोग का गठन करने पर सहमत होना पड़ा।

71. भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा पेन्शन लाभों में सुधार लाने की अपनी मांग के लिए एक सप्ताह तक हड़ताल की गई जिसके कारण वित्त मंत्री को अंत में मजबूर होकर हड़ताली यूनियनों के साथ बातचीत करनी पड़ी और इस प्रश्न पर परस्पर सहमति का समझौता करना पड़ा था।

72. एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) के कर्मचारियों ने हवाई अड्डों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल का संघर्ष किया। इस अवधि का यह सबसे अधिक उल्लेखनीय संघर्ष था। देश के 124 हवाई अड्डों पर काम करने वाले 22000 कर्मचारियों ने आधुनिकीकरण के नाम पर दिल्ली तथा मुम्बई के हवाई अड्डों का निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक फरवरी से सभी हवाई अड्डों का काम काम ठप्प कर दिया था। यह हड़ताल चार फरवरी तक चली; कर्मचारियों ने बहादुरी के साथ पुलिस दमन का सामना किया। नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से लिखित में 'एएआइ द्वारा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने से जुड़े प्रश्नों' और कर्मचारियों से सम्बन्धित दूसरे प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन करने का आश्वासन दिए जाने के बाद यह हड़ताल वापस ले ली गई। सरकार ने इस बारे में अपनी प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया था। किन्तु हवाई अड्डों पर काम करने वाले कर्मचारियों ने साहसिक हड़ताल करके एक नए इतिहास का सृजन किया है। एयरपोर्ट अथारिटी इम्पलाईज़ यूनियन एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन संगठन है किन्तु निजीकरण विरोधी संघर्ष में उसने सीआइटीयू के साथ मिल कर संघर्ष किया था। यूपीए सरकार देश के सभी हवाई अड्डे किसी भी मूल्य पर निजी हाथों में दे देना चाहती है; इन निजी हाथों में उनके विदेशी सहयोगी भी शामिल हैं; कर्मचारी अब भी इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।

73. इन सभी अखिल भारतीय आंदोलनों का अनुभव साफ तौर पर दर्शाता है कि श्रमिक अपनी एकता और संघर्ष के लिए दृढ़ता के बल पर सभी विघ्न बाधाओं को पार कर सकते हैं; चाहे कितनी कठिनाईयां क्यों न आएं किन्तु वे सेवायोजकों तथा अधिकारियों को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

74. निजीकरण तथा विनिवेशों के खिलाफ प्रतिरोधी संघर्ष एक बार फिर से गति पकड़ने लगा है। सरकार द्वारा नाल्को, नायवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन तथा एनएमडीसी जैसी मुनाफा देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के शेयरों का विनिवेश करने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। नाल्को के श्रमिकों ने 23 जून, 2006 को पूर्ण हड़ताल करके इस पर अपनी स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। पूरे उड़ीसा राज्य में 30 जून को आम हड़ताल की गई। इस हड़ताल के चलते इंटक तथा बीएमएस सहित सभी श्रमिक संगठन एकजुट हुए और कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कर शेष सभी राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल किया जा सका। तमिलनाडु में नायवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के श्रमिकों द्वारा 4 जुलाई, 2006 की अर्ध रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई। कांग्रेस और भाजपा को छोड़ कर डीएमके के नेतृत्व वाले एलपीएफ, वाम पक्षी दलों तथा दूसरे सभी दलों द्वारा हड़ताल का समर्थन किया जा रहा है। एनएमडीसी में श्रमिकों की ओर से 7 जुलाई को सांकेतिक हड़ताल की गई और वे 4 अगस्त, 2006 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं। इन सभी घटनाओं में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक संगठन आपस में मिल कर प्रतिरोधी संघर्षों के लिए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। केन्द्रीय श्रमिक संगठनों (बीएमएस तथा इंटक सहित) के आह्वान पर 30 जून, 2006 को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया गया। उस दिन सभी कामकाजी स्थलों में प्रदर्शन किए गए और प्रधान मंत्री के नाम तारें भेजी गईं। दिल्ली में एक विशाल एवं जुझारू प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

75. इस पश्ठभूमि में नाल्को के श्रमिकों द्वारा किया गया संघर्ष पहली उदाहरण है और उसके बाद नायवेली के श्रमिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की; इसके चलते भारत सरकार को इन दोनों कम्पनियों में विनिवेश करने के लिए हाल ही में घोषित अपने कार्यक्रम को वापस लेना पड़ा है। श्रमिक वर्ग केवल संघर्ष की संयुक्त जन कार्रवाईयां करके, सभी जनवादी ताकतों तथा मेहनतकश अवाम की सभी श्रेणियों को लामबंद करके ही आर्थिक उदारीकरण की नीतियों की दिशा में बदलाव लाने के लिए सरकार को मजबूर कर सकता है; यह इसका स्पष्ट संकेत है।

76. इसके अलावा भी सीआइटीयू की ओर से राज्य स्तर पर स्वतंत्र रूप से अथवा दूसरे श्रमिक संघों के साथ मिल कर अनेक संघर्ष चलाए गए। इन राज्य स्तरीय संघर्षों के दौरान देखने को मिला कि सभी स्थानों पर श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है और श्रमिकों का निरंकुश दमन किया जाता है; यह सामान्य लक्षण है।

77. पंजाब में, कार्य समिति की पिछली बैठक के बाद की इस पूरी अवधि में श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ यदा कदा आंदोलन चलते रहे हैं; श्रमिकों और कर्मचारियों ने बहादुरी के साथ पुलिस दमन, गिरफ्तारियों, कारावास के दण्ड और प्रशासन द्वारा नेताओं के खिलाफ झूठे मुकद्दमें बनाए जाने जैसी दमनकारी कार्रवाईयों का सामना किया है।

78. हरियाणा के पानीपत शहर में स्पिनिंग मिल के 18000 मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की और एक सप्ताह तक हर रोज आठ से दस हजार श्रमिकों को लामबंद किया गया। आखिर सेवायोजकों को मजबूर होकर न्यूनतम वेतन का भुगतान करने और रोजगार रजिस्टर रखने की मांग पर समझौता करना पड़ा। किन्तु इसके तत्काल बाद सेवायोजकों ने समझौते को लागू करने से इन्कार कर दिया। समझौते के उल्लंघन के खिलाफ मजदूरों का संघर्ष एक बार फिर शुरू हुआ और यह संघर्ष राज्यव्यापी आंदोलन का रूप ले रहा है। करनाल में लिबर्टी फुटवियर के मजदूरों ने सेवायोजक द्वारा त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन किए जाने के खिलाफ अपने संघर्ष में बहादुरी के साथ पुलिस दमन, व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियों और सेवायोजक–पुलिस गठबंधन के उत्पीड़न की कार्रवाईयों का सामना किया है। हरियाणा में राज्य परिवहन के श्रमिकों ने भी परिवहन निगम के काम निजी पार्टियों को दिए जाने के खिलाफ चार दिनों तक मुकम्मल हड़ताल की थी। इस हड़ताल के कारण मुख्य मंत्री को मजबूर होकर यूनियनों के साथ बातचीत करनी पड़ी और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

79. हिमाचल प्रदेश में स्थित चमेरा पण विद्युत परियोजना के मजदूर जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं। वहां ठेकेदार के हथियारबंद गुण्डों की ओर से निर्दयता के साथ तीन मजदूरों की हत्या कर दी गई। मजदूरों की ओर से इसके खिलाफ संघर्ष चलाया जा रहा है। सीआइटीयू को राज्य में सभी श्रमिक संघों को लामबंद करने में सफलता मिली है। निकटवर्ती इलाकों के किसान भी मजदूरों के साथ एकजुटता की कार्रवाईयों में भाग ले रहे हैं।

80. बंगलौर में टोयटा के मजदूरों ने यूनियन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाईयों के विरोध में लगातार हड़ताल की गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक बड़ा जन आंदोलन विकसित हुआ। ये मजदूर गंगावरम बंदरगाह परियोजना का स्थान बदलने तथा विस्थापितों एवं मछुआरों जिनके घर तथा जमीनें परियोजना शुरू होने के फलस्वरूप छिन जाएंगी, का पुनर्वास करने की मांग कर रहे थे। सीआइटीयू ने दूसरे जन संगठनों के साथ मिल कर इस संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई है। सीआइटीयू के अनेक नेताओं को पिछले कई महीनों से जेलों में बंद कर रखा है।

81. इस मध्यवर्ती अवधि में चलाए गए संघर्ष उसी अनुभव को फिर से दोहराते हैं कि यदि हम उपयुक्त पहलकदमी करें तो एक बड़ा आंदोलन विकसित किया जा सकता है। दूसरे, अधिकांश मामलों में प्रशासन पूरे हठ के साथ जन साधारण के हितों के खिलाफ खड़ा देखा गया है। पूंजी की ताकतों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले रखा है। स्थिति की मांग है कि जनवादी जनता अधिक संगठित तरीके से संघर्ष की कार्रवाईयां करे और इन कार्रवाईयों की निरंतरता को बनाए रखा जाए।

81. हमारे देश में यूपीए सरकार तथा उसकी पूर्ववर्ती एनडीए सरकार अर्थात् इन दोनों सरकारों की जन विराधी नीतियों के खिलाफ लड़ने वाली एक मात्र ताकत केवल वाम पक्षी दल ही हैं; यही दल प्रभावी ढंग से तीसरे विकल्प का निर्माण करने की दिशा में नेतृत्व कर रहे हैं ताकि श्रमिक वर्ग सहित पूरे जनता के हितों की रक्षा की जा सके; उपरोक्त घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है। वाम पक्षी दलों ने इस अवधि में खुद को मजबूत बनाया है और उन्होंने दखल देने की अपनी क्षमता बढ़ाई है; यह एक तथ्य है।

हैदराबाद में एडीबी बैठक

82. एशियाई विकास बैंक अर्थात् एडीबी के संचालक मण्डल (गवर्नरों) की एक बैठक 3 मई, 2006 को हैदराबाद में हुई थी। श्रमिक वर्ग तथा कुछ गैर सरकारी संगठनों के जोरदार प्रदर्शनों ने उसका स्वागत किया था। इन विरोध प्रदर्शनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के निहित स्वार्थों की दास्य भाव से सेवा करने तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए ऋण देने के मामले में जन विरोधी शर्तें लगा कर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने की बैंक की भूमिका की पोल खोली थी।

83. एशियाई विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष साम्राज्यवादी देशों के एजेंटों के रूप में काम कर रहे हैं; वे हमारे देश में तीन तरफा हमला करते हैं। यद्यपि एडीबी के सदस्य देशों की संख्या 50 है फिर भी प्रमुख तौर पर अमरीका तथा जापान का उस पर बर्चस्व है। नीतियों के आधार पर ऋण देने की रणनीति के अन्तर्गत वह ऋण लेने वाले देशों को अपने यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों देशी तथा विदेशी दोनों के प्रवेश के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा करने के लिए उकसाता है; वह चाहता है कि ये देश अपने अंदरूनी ढांचे के क्षेत्र से लेकर जन उपयोगी सेवाओं सहित सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में इन कम्पनियों को काम करने दें। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा लगाई गई शर्तों को मान लेने के फलस्वरूप बिजली तथा पानी जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर दी जाने वाली सब्सिडियों में कटौती की जा रही है। इस सेवाओं की लागत वसूल करने के नाम पर इनके शुल्क बढ़ाए जा रहे हैं; पेय जल आपूर्ति का निजीकरण किया जा रहा है और कृषि को बाजार की ताकतों के रहमों कर्म पर छोड़ दिया गया है। अनेक देशों के अनुभव इन तथ्यों की पुष्टि करते हैं।

84. कर्मचारियों, श्रमिकों और शिक्षकों के संयुक्त मंच के झण्डे तले श्रमिकों, कर्मचारियों तथा शिक्षकों की एक विशाल रैली का आयोजन हैदराबाद में किया गया। रैली में शामिल लोग जोरदार शब्दों में नारे लगा रहे थे, 'एडीबी वापस जाओ!' हमें एडीबी की कार्रवाईयों के खिलाफ सजग रहना होगा ओर एक मजबूत प्रतिरोधी आंदोलन विकसित करने के लिए श्रमिकों तथा जन साधारण के बीच जोरदार अभियान चलाना होगा।

कामकाजी महिलाएं

85. तमिलनाडु कामकाजी महिलाओं की मांगों को लेकर सघन प्रचार अभियान चलाया गया और राज्य के पांच केन्द्रों में उनकी प्रभावशाली लामबंदी देखने को मिली। दूसरे किसी भी राज्य में इस तरह की कोई गतिविधि चलाई नहीं गई।

86. विमल रणदिवे स्मारक व्याख्यान का विषय 'भूमण्डलीयकरण के दौर में कामकाजी महिलाओं द्वारा झेले जा रहे खतरे' चुना गया था। दुर्भाग्यवश, सीआइटीयू केन्द्र में नियमित रूप से होने वाला व्याख्यान भी इस बार हो नहीं पाया। मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे किसी राज्य से स्मारक व्याख्यान के आयोजन का समाचार नहीं मिला है।

87. कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति : हमने पहले दो बार सीआइटीयू के महाधिवेशनों के साथ कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति के सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके अनुसार हमें इस बार भी सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन से पहले समन्वय समिति के सम्मेलन का आयोजन करना होगा। सीआइटीयू की आंध्र प्रदेश राज्य समिति तथा कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समिति इस सम्मेलन का आयोजन विशाखापत्तनम में करने पर सहमत हो गई हैं। इसके लिए 3–5 नवम्बर, 2006 की तिथियों का सुझाव दिया गया है। जनरल कौंसिल की ओर से इन तिथियों को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। सभी राज्य समितियों को अखिल भारतीय सम्मेलन से पहले जहां कहीं सम्भव हो राज्य एवं जिला सम्मेलनों का आयोजन कर लेना चाहिए। ये सम्मेलन सीआइटीयू सम्मेलनों से अलग और पूरी तैयारियों के साथ आयोजित किए जाएं ताकि कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर समुचित ढंग से विचार किया जा सके। असंगठित क्षेत्र जहां कामकाजी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करती हैं, में हमारा काम बढ़ रहा है इसलिए मौजूदा हालतों में यह काम अधिक महत्त्वपूर्ण है।

88. कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) की बैठक 18–19 जुलाई को रांची में होनी तय हुई थी। उसे 25 जुलाई से शुरू होने वाले आंगनवाड़ी महिलाओं के संघर्ष के कार्यक्रम के कारण स्थगित करना पड़ा है। हमें अब अगस्त के अंत तक यह बैठक करने का फैसला करना होगा।

असंगठित क्षेत्र

89. फिरोजाबाद सम्मेलन के बाद पहली बार असंगठित क्षेत्र समन्वय समिति की बैठक 19 जून, 2006 को हुई थी। लगभग 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था। बैठक में असंगठित क्षेत्र के उपक्रमों पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार किए गए असंगठित क्षेत्र श्रमिकों सम्बन्धी विधेयक के प्रारूप पर विचार किया गया था। श्रमिक संघों ने एकमत होकर सरकार से खेतिहर श्रमिकों के लिए अलग विधेयक लाने की मांग की थी और यह मांग सरकार से बार–बार की जाती रही किन्तु इस पर भी सरकार ने असंगठित क्षेत्र श्रमिकों सम्बन्धी इसी विधेयक के प्रारूप में ही खेतिहर श्रमिकों का नाम भी जोड़ दिया है। खेतिहर श्रमिकों के लिए अलग–से सर्वसमावेशी कानून बनाने के उद्देश्य से विधेयक तैयार किया जाए, यह विधेयक उपरोक्त विधेयक के साथ ही संसद में पेश किया जाए और इस काम में और देरी न की जाए, इस मांग पर जोर देने के लिए हमें लगातार अभियान चलाना होगा।

90. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच हमारे काम पर नजर रखने के लिए सीआइटीयू राज्य समितियों में उप समितियों तथा राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन करने सम्बन्धी पहले लिए गए फैसलों को बैठक में फिर से दोहराया गया।

91. दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा पारित मांग पत्र पर एक व्यापक अभियान चलाने की सिफारिश करने का फैसला किया गया। इस अभियान में इन मांगों पर जोर दिया जाएगा 1) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तत्काल कानून बनाया जाए, 2) न्यूनतम वेतन तथा 3) समान वेतन। राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर के सम्मेलनों का आयोजन करने; आवासीय क्षेत्रवार बैठकें करने; पर्चे बांटने; पोस्टर चिपकाने; दीवारों पर लिखने; जत्था कार्यक्रम आयोजित करने और इन सभी कार्यक्रमों में जहां तक सम्भव हो सके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किए जाने का फैसला किया गया। एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मांगों को भी शामिल किया जाए। इस दौरान राज्यों की राजधानियों में रैलियां निकाली जाएं और प्रतिनिधिमण्डल राज्य सरकार के अधिकारियों से मिलें। इन कार्यक्रमों की चरम परिणति दिसम्बर में अखिल भारतीय हड़ताल के साथ हो।

92. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने के महत्त्व को देखते हुए राज्य समितियों को इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए अभी से योजना बना लेनी चाहिए।

93. असंगठित क्षेत्र में उपक्रमों पर राष्ट्रीय आयोग की ओर से तैयार किए गए असंगठित क्षेत्र विधेयक के प्रारूप पर बैठक में विचार किया गया। इस प्रश्न पर श्रमिक संगठनों द्वारा सर्वसम्मत रुख अपनाए जाने और सरकार की ओर से उनके प्रतिनिधिमण्डलों को खेतिहर श्रमिकों के लिए अलग विधेयक लाने के लिए आश्वासन दिए जाने पर भी

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से सम्बन्धित विधेयक के प्रारूप में ही खेतिहर श्रमिकों का नाम भी जोड़ दिया गया है।

94. आइएलओ ने असंगठित क्षेत्र में 'गरिमापूर्ण काम के अभाव' की चर्चा की है और इस समस्या का समाधान करने के प्रयास के रूप में भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में अनौपचारिक क्षेत्र की इकाईयों और उनमें काम करने वाले श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र के साथ मुख्य धारा में लाने के लिए कदम उठाने की अपनी प्रतिबद्धता बार–बार व्यक्त की है। किन्तु आयोग के विचारार्थ विषयों में 'उद्यमी विकास' को शामिल किया गया है। इसका अर्थ असंगठित क्षेत्र की इकाईयों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी।

95. विभिन्न देशों और यहां तक भारत के विभिन्न राज्यों में उपलब्ध कराई जा रही सामाजिक सुरक्षा के अनुभवों का अध्ययन करने के बाद आयोग ने अपनी लम्बी रिपोर्ट में केवल एक 'राष्ट्रीय वश्द्धावस्था पेन्शन योजना' लागू करने का सुझाव दिया था; इसके लिए अंशदान देने की जरूरत नहीं होगी किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 200 रुपए की मासिक पेन्शन दी जाएगी।

96. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे सभी श्रमिकों को इसके लिए एक रुपया प्रति दिन अर्थात् 365 वार्षिक अंशदान देना होगा। हां, वर्ष में उसे कितने दिन काम मिलता, इसे जाने दीजिए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की ओर से एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार खेतिहर श्रमिकों अथवा खेत मजदूरों को वर्ष में 71 दिन से अधिक काम नहीं मिलता। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कष्ट भी कम नहीं हैं। यदि उन्हें पूरा वर्ष काम मिल जाए तो भी उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता। यह आशा करना हास्यास्पद है कि वे सामाजिकं सुरक्षा खरीदने के लिए वर्ष में 365 रुपए का योगदान दे देंगे। इसके लिए भी भविष्य निधि की राशि दस वर्ष की अवधि के लिए जमा कर दी जाएगी और यदि इन दस वर्षो में श्रमिक रोजगार से वंचित हो जाता है अथवा किसी दुर्घटना में घायल हो जाने के कारण स्थायी तौर पर काम करने लायक नहीं रहता तो भी वह अपना धन वापस नहीं ले सकता।

97. ये लाभ बहुत कम हैं इस पर भी श्रमिक नियमित रूप से अपने अंशदान का भुगतान करने पर ही इन लाभों को हासिल करने का पात्र होगा; अंशदान की पिछली बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करने पर ही उसकी पात्रता को बहाल किया जाएगा।

98. श्रमिक संघों ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया था कि सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार को जीडीपी का कम से कम 3 प्रतिशत का आबंटन करना चाहिए और समय बीतने के साथ–साथ इस अंशदान को बढ़ाते चले जाना चाहिए। आयोग की गणना के अनुसार केन्द्रीय सरकार का अंशदान पहले वर्ष 0.17 प्रतिशत होगा ओर पाचवें वर्ष में बढ़ कर 0.39 प्रतिशत हो जाएगा क्योंकि पांच वर्षो के भीतर इस योजना का लाभ लेने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी।

99. वर्ष में 365 रुपए का अंशदान दिए जाने पर भी आयोग द्वारा प्रस्तावित लाभ बेहद कम हैं। बीपीएल श्रेणी के श्रमिकों को छोड़ कर शेष सभी श्रमिकों के लिए पेन्शन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरे श्रमिक अपने भविष्य निधि के संचित कोष से किसी भी बीमा कम्पनी को वार्षिक अंशदान देकर पेन्शन खरीदने के लिए 'स्वतंत्र' होंगे जबकि उनसे ये अंशदान वृद्धावस्था सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लिए जाते हैं।

100. हमें मांग करनी चाहिए कि इस प्रारूप को पूर्ण तौर पर संशोधन किया जाए और श्रमिक संघों द्वारा एकमत होकर दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए इसे फिर से तैयार किया जाए।

101. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बनाए गए अनेक प्रारूपों का अध्ययन करने और एक विधेयक का प्रारूप तैयार करने की भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था। समिति की पहली बैठक 23 जून 2006 को हुई थी।

102. हमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सर्वसमावेशी विधेयक लाने और खेतिहर श्रमिकों के लिए अलग–से एक विधेयक लाने की मांग के लिए अपने अभियान को और तेज करना होगा। हमारी मांग है कि इन दोनों विधेयकों को और देरी किए बिना एक साथ संसद में पेश किया जाए।

संयुक्त आंदोलन की मौजूदा स्थिति, अभियान समिति तथा राष्ट्रीय जन संगठन मंच

103. श्रमिकों तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी ज्वलंत मांगों के लिए 29 सितम्बर, 2005 की देशव्यापी हड़ताल को असाधारण सफलता मिली थी। श्रमिक आंदोलन में एकता लाने के प्रयासों को और आगे बढ़ाने और व्यापक आधार वाले संघर्ष चलाने के लिए और अधिक कोशिशें करने की जरूरत है। दुर्भाग्यवश, एक दिवसीय हड़ताल के बाद लम्बे समय तक शांत बैठे रहने की प्रवृति इस हड़ताल के बाद भी देखने को मिली। हमारी ओर से अभियान समिति जिसके झण्डे तले पिछले डेढ़ दशक में उदारीकरण और भूमण्डलीयकरण की आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष किए गए हैं, की बैठक बुलाने का भरसक प्रयास किया गया किन्तु इस पर भी 29 सितम्बर की हड़ताल की समीक्षा करने और संघर्ष के आगामी कार्यक्रम का निर्धारण करने के लिए बैठक नहीं बुलाई जा सकी। श्रमिक आंदोलन की कुछ श्रेणियों द्वारा कुछ विशेष मुद्दों को लेकर केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को एकजुट करने, श्रमिकों की आवाज उठाने और सरकार को ज्ञापन भेजने इत्यादि कामों में अधिक रुचि नहीं दिखाई गई। इसके चलते यह मंच निष्क्रिय सा हो गया। हमें इस रुझान के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ संघर्ष करना होगा और यह संघर्ष लगातार जारी रखना होगा।

104. श्रमिक संघों की अभियान समिति की बैठक 3 तथा 5 जून 2006 को हुई। उस बैठक में 25 जुलाई, 2006 को नयी दिल्ली में मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का आह्वान किया गया है। आशा की जानी चाहिए कि इस समय श्रमिक वर्ग तथा मेहनतकश अवाम को दरपेश समस्याओं पर इस सम्मेलन में संघर्ष का कार्यक्रम बनाया जाएगा।

105. सरकार की जन विरोधी नीतियों का कड़ा विरोध करने के लिए श्रमिकों की सभी श्रेणियों, किसानों, देहाती मजदूरों, युवाओं, छात्रों तथा महिलाओं को एकजुट करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जन संगठन मंच को पुनर्जीवित करने में हमें सफलता नहीं मिली। हमें स्वीकार करना होगा कि कुछ केन्द्रीय श्रमिक संगठनों और उनके साथ–साथ जन संगठनों के भीतर इस प्रश्न पर कुछ गलतफहमियां और आपत्तियां हैं। हमें इन सभी गलतफहमियों को दूर करना होगा और एनपीएमओ को पुनर्जीवित करने और उसे मजबूत बनाने की अपनी कोशिशें तेज करनी होंगी तथा उन्हें व्यापक संघर्षो के रास्ते पर ले जाना होगा।

106 इस सम्बन्ध में, हमारी ओर से भी पहलकदमियां करने में ढिलाई से काम लिया गया है; हमें अपनी इस समस्या को दूर करना होगा। पश्चिम बंगाल में हमारी राज्य समिति ने एनपीएमओ के मंच से संघर्ष के कार्यक्रमों को पूरी मजबूती से पूरा करने पर जोर दिया था वहां श्रमिक वर्ग तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों को ऐक्यबद्ध किया जा सका है। हमें इस बैठक में विभिन्न राज्यों के अनुभवों और उन समस्याओं पर विचार करना चाहिए जिनका सामना राज्य समितियों को करना पड़ रहा है ताकि इस दिशा में उपयुक्त पहलकदमियां करने की योजना बनाई जा सके और दरपेश चुनौती का सामना करने के लिए श्रमिक संघों की अभियान समिति, राष्ट्रीय जन संगठन मंच और जन प्रतिरोध के सभी निकायों को अधिक सक्रिय, मजबूत बनाया जा सके और संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके।

107. इस सम्बन्ध में जन साधारण की ज्वलंत समस्याओं को लेकर दूसरे भ्रातश संगठनों के साथ मिल कर संयुक्त लामबंदियों एवं संघर्षो के लिए सीआइटीयू द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली पहलकदमियां एनपीएमओ को फिर से सक्रिय करने के लिए अनुकूल हालात पैदा करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। हमें एनपीएमओ को सक्रिय बनाने के लिए अनुकूल हालात पैदा करने के उद्देश्य से इस तरह की स्वतंत्र लामबंदियों के लिए अपने भाईचारे के जन संगठनों तथा स्वतंत्र यूनियनों एवं फैडरेशनों के साथ नियमित तौर पर समन्वय स्थापित करने के लिए पहलकदमी करनी होगी।

सीआइटीयू की पत्रिकाएं

108. हम सीआइटीयू केन्द्र से नियमित तौर पर पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। 'द वर्किंग क्लास' अपने प्रकाशन के 36 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 'सीटू मजदूर' 27 और 'द वायस आफ वर्किंग विमन' 26 वर्ष पूरे करने जा रहा है। 'कामकाजी महिला' (हिन्दी) का प्रकाशन बंद कर दिए जाने के बाद हमने त्रैमासिक 'पत्रिका' (हिन्दी में' का प्रकाशन शुरू किया; यद्यपि यह पत्रिका प्रमुख तौर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच जाती है।

109. सीआइटीयू केन्द्र में हम पूरी गम्भीरता के साथ न केवल इन पत्रिकाओं का प्रकाशन नियमित रूप से करने अपितु इनकी सामग्री में और सुधार लाने की कोशिशें कर रहे हैं। हिन्दी भाषी राज्यों की राज्य समितियों के नेताओं द्वारा दिए गए सुझावों के मद्देनजर हिन्दी अनुवाद में सुधार लाने और इन राज्यों की गतिविधियों को अधिक प्रमुखता

देने के उद्देश्य से हमने 'सीटू मजदूर' के कार्यकारी सम्पादक के रूप में कामरेड दीपंकर मुखर्जी को उसका सम्पादन करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

110. हमने सीआइटीयू केन्द्र में लगातार बनी रहने वाली कमजोरी को भी रेखांकित किया है जिसके परिणामस्वरूप हमारी पत्रिकाओं के सम्पादक मण्डलों की बैठक हर महीने नियमित रूप से नहीं हो पाती। हमने आने वाले समय में इस ओर ध्यान देने का फैसला किया है।

111. हम बोझिल मन से सीआइटीयू की राज्य समितियों द्वारा की जा रही इस दोहरे काम की अनदेखी की ओर आपका ध्यान दिलाते हैं। ये दोहरे काम हैं 1) सीआइटीयू पत्रिकाओं की प्रसार संख्या बढ़ाना और 2) पत्रिकाओं के लिए समाचार एवं रिपोर्ट भेजना। सम्बद्ध यूनियनों द्वारा अनिवार्य रूप से जमा कराए जाने वाले चंदे के अलावा अनेक प्रतियां सीधे भेजी जाती है और एजेंसियों के माध्यम से उनका वितरण किया जाता है। इनकी प्रसार संख्या भी बेहद कम है। समाप्त हो चुकी एजेंसियों का नवीकरण करने के लिए भी कोशिशें नहीं की गई।

112. सीआइटीयू केन्द्र की ओर से प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं के अलावा प्रमुख राज्यों में राज्य समितियां तथा अनेक औद्योगिक महासंघ भी स्थानीय भाषाओं में अलग–से पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं। यद्यपि हम 'द वर्किंग क्लास' में प्रकाशित प्रमुख लेख ई–मेल द्वारा राज्य समितियों को तत्काल भेज देते हैं किन्तु इस पर भी इन स्थानीय भाषाओं में उनका पुनर्प्रकाशन करने में कुछ विशेष तरह की कठिनाईयां आड़े आती हैं।

113. हम राज्य स्तरीय सीआइटीयू पत्रिकाओं के सम्पादकों की एक अखिल भारतीय बैठक बुलाने जा रहे हैं। इस बैठक में राज्यों के अनुभवों पर चर्चा की जाएगी और इस पत्रिकाओं के माध्यम से श्रमिकों के बीच अपने अभियान में और सुधार लाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। हम जनरल कौंसिल के सामने विचार करने और उपयुक्त निर्णय लेने के लिए यह प्रस्ताव पेश करते हैं।

पी राम मूर्ति टीयू स्कूल

114. सीआइटीयू के चेन्नै महाधिवेशन में हमारे संस्थापक महासचिव कामरेड पी राम मूर्ति के नाम पर एक स्थायी ट्रेड यूनियन स्कूल और शोध केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। भोपाल में दिसम्बर 2005 को आयोजित कार्य समिति की बैठक ने इस पर विचार करने के बाद निम्नलिखित फैसले किए थे:

- सीआइटीयू केन्द्र नयी दिल्ली में इस स्थायी स्कूल के भवन का निर्माण करने के उद्देश्य से प्लाट हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा।
- राज्य समितियां इसके लिए धन इकट्ठा करेंगी और अपने–अपने कोटे यथाशीघ्र पूरे करेंगी।
- स्कूल की स्थापना करने और इसे चलाने के काम में भ्रातश ट्रेड यूनियन संगठनों का सहयोग लेना और उन्हें इसमें शामिल करना।
- वर्ष 2006 के पहले आधे भाग में हिन्दी भाषी राज्यों के लिए एक स्कूल का आयोजन करना।

115. इस फैसले के अनुसार हमने 16–18 जून, 2006 को हिन्दी भाषी राज्यों के लिए एक ट्रेड यूनियन स्कूल का आयोजन किया था।

116. हम दिल्ली विकास प्राधिकरण से सीआइटीयू के लिए प्लाट हासिल करने के अपने आवेदन पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और आशा करते हैं कि यह काम जल्दी हो जाएगा।

117. सीआइटीयू सचिव मण्डल की एक बैठक 11–12 जून, 2006 को हैदराबाद में हुई थी। उस बैठक में प्रस्तावित ट्रेड यूनियन स्कूल को चलाने के लिए सीआइटीयू तथा भ्रातृ श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों पर आधारित एक संचालक मण्डल बनाने का फैसला किया गया था। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस संचालक मण्डल का गठन जल्द हो जाएगा। संचालक मण्डल इसके सभी कानूनी और दूसरे मुद्दों को सुलझाने का काम करेगा।

118. राज्य समितियों को इसके लिए अपने निर्धारित कोटे की राशि इकट्ठा करने के प्रयासों में तेजी लानी होगी। इस बारे में और विस्तृत जानकारी अलग–से दी जाएगी।

सीआइटीयू संगठन

119. हिन्दी भाषी राज्यों में सीआइटीयू नेताओं की एंक बैठक 22 तथा 23 मार्च, 2006 को हुई थी। उस बैठक में फैसला किया गया था कि सीआइटीयू केन्द्र के सहयोग से इन राज्यों में सीआइटीयू संगठन की स्थिति विस्तृत समीक्षा की जाए।

120. केन्द्र में सीआइटीयू सचिव मण्डल ने इस प्रश्न पर विचार किया है और संगठन पर समीक्षा रिपोर्ट के नोट को अंतिम रूप दिया है; उस नोट के आधार पर यह समीक्षा की जाएगी। यह नोट सभी हिन्दी भाषी राज्यों की राज्य समितियों को भेजा जा चुका है। उनसे कहा गया है कि वे राज्य समितियों में विचार करने के लिए इस समीक्षा का प्रारूप बनाएं और लागू करने के लिए उसे अंतिम रूप दें। हम चाहते थे कि यह काम 31 जुलाई, 2006 तक पूरा हो जाए और हमारा विश्वास है कि हिन्दी भाषी राज्यों में सभी राज्य समितियां पूरी गम्भीरता के साथ यह काम करेंगी।

121. हमने सुझाव के रूप में एक नोट सीआइटीयू केन्द्र में तैयार किया था; उसकी प्रतियां सभी राज्य समितियों को भेज दी गई हैं। इस नोट के आधार पर सीआइटीयू के राज्य सम्मेलनों में सांगठनिक समीक्षा की जानी चाहिए।

122. उद्योगवार महासंघों की संगठनात्मक स्थिति के बारे में भी इस तरह की समीक्षा की जानी चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

123. भोपाल में आयोजित कार्य समिति की पिछली बैठक के बाद की अवधि में सीआइटीयू ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन के साथ अपने सम्बन्ध विकसित करने की दिशा में और प्रगति की है।

124. हमने पहले ही आपको बता दिया था कि दूसरे देशों में हमारे सहयोगी श्रमिक संगठनों ने सीआइटीयू में अपना विश्वास व्यक्त किया है। यद्यपि सीआइटीयू तीनों अन्तर्राष्ट्रीय फैडरेशनों अर्थात् डब्ल्यूएफटीयू, आइसीएफटीयू तथा डब्ल्यूसीएल में से किसी एक के साथ भी सम्बद्ध नहीं है तो भी पूरे विश्व में सभी सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर सभी भ्रातश श्रमिक संगठनों के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हैं।

125. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के एक भाग के रूप में सीआइटीयू के सचिव एम एम लारेंस और वाटरफ्रंट वर्कर्स फैडरेशन आफ इंडिया के उपाध्यक्ष के वी ए अय्यर ने सीयूटीएस के निमंत्रण पर ब्राजील का दौरा किया था। सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे ने सीजीटी के सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस का दौरा किया। सीआइटीयू के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने सीजीआइएल के सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली का दौरा किया। सीआइटीयू के सचिव एस देव राय ने 30 मई से 6 जून तक जिनेवा में आयोजित आइएलओ के सम्मेलन में भाग लिया। सीआइटीयू के महासचिव चित्तब्रत मजुमदार जेनरोरेन के निमंत्रण पर उनके सम्मेलन में भाग लेने के लिए इसी मास जापान जा रहे हैं।

126. यूसीसीएटीटी के निमंत्रण पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स औफ इंडिया के महासचिव देबांजन चक्रवर्ती ने मई 2006 में लण्डन का दौरा किया था।

127. सीआइटीयू की तमिलनाडु राज्य समिति की उपाध्यक्ष पी इंदिरा मार्च 2006 में "संगठित करने के लिए क्षमता के विकास" पर आकट्राव द्वारा आयोजित एक ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था। उसके बाद वह सिंगापुर के अध्ययन दौरे पर गई।

128. परिवहन श्रमिकों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त 2006 में साइप्रस में होने जा रहा है। एक प्रतिनिधिमण्डल उसमें भाग लेने के लिए जाएगा। निर्माण श्रमिकों के महासंघ का एक प्रतिनिधिमण्डल ग्रीस में होने जा रहे निर्माण श्रमिकों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेगा। सितम्बर 2006 में गुआंगडांग प्राविंशल ट्रेड यूनियन का एक प्रतिनिधिमण्डल सीआइटीयू के केन्द्रीय कार्यालय का दौरा करेगा। आल चायना फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनस् के एक प्रतिनिधिमण्डल के भी नयी दिल्ली स्थिति सीआइटीयू मुख्यालय में आने की सम्भावना है।

हमारे कार्य

129. साथियो, मौजूदा स्थिति में हमारे सामने भारी चुनौती पैदा हो चुकी है; इसके साथ ही यह स्थिति हमें आगे बढ़ने के लिए जबरदस्त अवसर भी उपलब्ध कराती है। आर्थिक सुधारों का गुणगान करने वाले महानुभावों के प्रवचनों के बावजूद आर्थिक उदारीकरण की नीतियां जन साधारण को कम से कम राहत देने में भी सफल नहीं रहीं। जीडीपी की वृद्धि दर में बढ़ोतरी होने के साथ बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है; गरीबी बढ़ रही है और किसानों द्वारा आत्महत्याएं किए जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जनसंख्या की सभी श्रेणियों की ओर से देश के सभी भागों में उठाई जा रही तीखे विरोध की आवाजें असल स्थिति को प्रतिबिम्बित करती हैं। जन साधारण के सबसे अधिक संगठित भाग श्रमिक आंदोलन को चाहिए कि वह इस नीतिगत सत्ता में बदलाव लाने के लिए नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ बढ़ रहे असंतोष एवं भ्रांतियों को देशव्यापी संघर्ष में तबदील करे।

130. देश में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य जटिलताओं से भरा है। सत्ताधारी वर्ग जन विरोधी नीतियों को जारी रखना चाहता है किन्तु उसे भारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह अपने बल पर सत्ता में बना नहीं रह सकता। श्रमिक आंदोलन और जनवादी आंदोलन जोर पकड़ रहे हैं इस पर भी सत्ताधारी श्रेणियों भारी हताशा की हालत में श्रमिक वर्ग के आंदोलन को अपनी नीतिगत सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रही हैं। इसलिए, वे श्रमिकों के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और विधायिका दोनों स्तरों पर कोशिशें कर रही हैं।

131. उपरोक्त घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि वाम पक्षी दल ही केवल एकमपत्र ऐसी शक्ति हैं जो यूपीए तथा एनडीए दोनों गठबंधनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वाम पक्षी दल की एकमात्र ताकत हैं जो तीसरे गठबंधन जो के गठन में प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं और यही गठबंधन श्रमिक वर्ग तथा जन साधारण के हितों की रक्षा कर सकता है। वाम पक्षी दल इस अवधि में और मजबूत हुए हैं और उन्होंने हस्तक्षेप करने की अपनी ताकत बढ़ा ली है; यह भी एक तथ्य है।

132. श्रमिक वर्ग के संघर्ष के बिना वाम पक्षी अपनी शक्ति बढ़ा नहीं सकते हैं। इस संघर्ष में श्रमिक वर्ग ही प्रमुख संगठित शक्ति है। श्रमिक वर्ग तथा मेहनतकश अवाम पर होने वाले हमलों का सामना करने के लिए जारी संघर्षो में श्रमिक वर्ग को एकजुट करने और श्रमिक वर्ग के संघर्ष को मजबूत बनाए बिना वाम पक्षी ताकतें मजबूत नहीं हो सकतीं; हम इसकी आशा भी नहीं कर सकते।

133. सीआइटीयू श्रमिक वर्ग के संघर्ष का प्रमुख हिस्सा है। जब तक सीआइटीयू को संगठन के तौर पर मजबूत नहीं बनाया जाएगा और संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग के संघर्षो का निर्माण नहीं किया जाएगा और उन संघर्षो को मजबूत नहीं बनाया जाएगा तब तक श्रमिक वर्ग के सार्थक एवं प्रभावी संघर्षो का विकास नहीं किया जा सकता।

134. इसलिए, सीआइटीयू समितियों तथा साथियों का काम है कि वे सेवायोजकों तथा सरकार के हमलों के खिलाफ तथा श्रमिकों की मांगों के समर्थन में जारी संघर्षो को मजबूत बनाने के लिए उद्योगों के संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के श्रमिकों के बीच सीआइटीयू के संगठन बनाने और उन्हें संगठित करने के लिए पहलकदमी करें और इन संघर्षो को संघर्ष की अखिल भारतीय संयुक्त कार्रवाईयों के रूप में तबदील करें।

135. हमें व्यापक आधार वाले जन आंदोलन को विकसित करने और देश भर में अधिक से अधिक जन लामबंदी को सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक तौर पर खुद को तैयार करना होगा। श्रमिक संघों की अभियान समिति के माध्यम से अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाते समय हमें एनपीएमओ को पुनर्जीवित करने के लिए अनुकूल हालात पैदा करने की दिशा में भी काम करना होगा। हमारी राज्य समितियों, जिला समितियों तथा उपक्रम स्तरीय यूनियनों को तश्ण मूल स्तर पर इसके लिए पहलकदमियां करनी होंगी। यदि हम जनता की सभी श्रेणियों को अपने साथ जोड़ने में सफल होना चाहते हैं तो हमें इसकी शुरूआत अपने संगठन को सभी स्तरों पर मजबूत बनाने की कोशिशों के साथ करनी होगी। मजबूत सीआइटीयू के बिना मजबूत श्रमिक आंदोलन अथवा व्यापक आधार वाली संघर्ष की कार्रवाईयां नहीं हो सकतीं।

136. हमारे सामने एक बहुत बड़ा संघर्ष है। नाल्को, नायवेली लिग्नाइट तथा एनएमडीसी के श्रमिकों द्वारा संघर्ष की जोरदार कार्रवाईयां किए जाने के साथ निजीकरण विरोधी संघर्ष पहले ही गति पकड़ चुका है। इन संघर्षो ने जोरदार

शब्दों में यह स्पष्ट संदेश दे दिया है, ''निजीकरण की कोई भी कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी।'' श्रमिक संघों की अभियान समिति ने देशव्यापी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है और संयुक्त संघर्ष के कार्यक्रम तथा देशव्यापी हड़ताल के बारे में निर्णय लेने के लिए 25 जुलाई, 2006 को नयी दिल्ली में मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। हड़ताल से पहले उपलब्ध समय का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करके हमें संयुक्त रूप से दूसरे संगठनों का सहयोग लेकर और सीआइटीयू की स्वतंत्र पहलकदमियों के माध्यम से संघर्ष के इन कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक जन लामबंदी को सुनिश्चित बनाना होगा। और इसके साथ ही जन पक्षीय नीति के विकल्प को जनता में पेश करने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए काम करना होगा।

137. तात्कालिक रूप से हमारे सामने निम्नलिखित काम हैं:

- साम्प्रदायिकता और नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के जारी रहने का दोहरा खतरा।
- 'काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाओ' नारे को नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के खिलाफ चलने वाले सभी अभियानों और आंदोलनों का केन्द्रीय नारा बनाना।
- श्रम कानूनों के उल्लंघन तथा श्रमिकों के अधिकारों के दमन के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में चल रहे कड़े संघर्षो के समर्थन में एकजुटता की कार्रवाईयों को व्यापक बनाना और तेज करना।
- श्रम कानूनों को लागू करने की मांग करना और उनके उल्लंघन को सभी ट्रेड यूनियन अभियानों एवं देशव्यापी कार्रवाईयों के रूप में उसे संघर्ष का केन्द्रीय बिंदु बनाना।
- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और खेतिहर श्रमिकों के लिए तत्काल प्रभाव से अलग–अलग सर्वसमावेशी कानून बनाने के लिए चल रहे अभियानों को तेज करना।
- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में अपनी गतिविधियों को तेज करना और उनके लिए कानून बनाने, न्यूनतम वेतन अधिनियम को लागू करने, कानून के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ उपलब्ध कराने और 'पुरुषों एवं कामकाजी महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन' जैसी मांगों पर जोर देना।
- विभिन्न सेक्टरों और उद्योगों मे चल रहे श्रमिकों एवं कर्मचारियों के संघर्षो को संघर्षो की मुख्य धारा में लाना।
- मौजूदा सामाजिक सुरक्षा लाभों पर हमलों के खिलाफ अभियान तथा संघर्ष चलाना और सभी के लिए सर्वसमावेशी सामाजिक सुरक्षा लागू कराने के लिए संघर्ष करना।
- श्रमिक संघों की अभियान समिति और राष्ट्रीय जन संगठन मंच में नयी जान फूंकने के लिए गम्भीर कोशिशें करना और देश भर में जबरदस्त जन लामबंदी करना।
- लगातार एवं सघन सदस्यता अभियान चला कर सीआइटीयू की सदस्य संख्या का 40 लाख करने का लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिशें करना।
- निकट भविष्य में पी राममूर्ति ट्रेड यूनियन स्कूल एवं शोध केन्द्र की स्थापना करना।
- नियमित अंतराल में ट्रेड यूनियन स्कूल का आयोजन करना और इसे संगठन के सभी स्तरों पर सीआइटीयू की गतिविधियों के एक अभिन्न अंग के रूप में लेना।
- ''कार्यकर्ताओं का विकास तथा श्रमिक आंदोलन'' दस्तावेज जिसे सीआइटीयू कार्य समिति की दिसम्बर 2005 को भोपाल में आयोजित बैठक अंतिम रूप दिया गया था, पर संगठन के सभी स्तरों पर और विशेष रूप से सीआइटीयू के आगामी महाधिवेशन के समय गहरा एवं संरचनात्मक विचार विमर्श चलाना।
- सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की तैयारी करना।

138. मुझे पूरा विश्वास है कि सीआइटीयू को और अधिक बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए राज्य समितियों तथा सम्बद्ध यूनियनों की ओर से संगठन के सभी स्तरों पर उपरोक्त कार्यो को दिल से किया जाएगा और इसके चलते सीआइटीयू श्रमिक वर्ग की ऐतिहासिक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो सकेगा।

अभिवादन के साथ

चित्तब्रत मजुमदार
महासचिव

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

जनरल कौंसिल बैठक

15 – 18 जुलाई, 2006

रांची, झारखण्ड

गतिविधियों की रिपोर्ट

भोपाल में दिसम्बर 2005 में आयोजित कार्य समिति की बैठक के बाद देश के राजनीति एवं आर्थिक परिदृश्य में अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। इस अवधि में मेहनतकश अवाम की आजीविका और अधिकारों पर हमले बढ़ते चले गए हैं।

इस अवधि में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम तथा पांडिचेरि में राज्य विधान सभाओं के चुनाव हुए। इन चुनावों का श्रमिक आंदोलन के लिए निर्णायक महत्त्व है। विशेष तौर पर वाम पक्षी ताकतों के गढ़ पश्चिम बंगाल तथा केरल में वाम मोर्चा तथा वाम एवं जनवादी मोर्चा चुनाव मैदान में था। वाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में लगातार सातवीं बार सत्ता में आने के लिए और केरल में वाम एवं जनवादी मोर्चा कांग्रेस के नेतश्त्व वाले संयुक्त गठबंधन को सत्ता से बाहर करने के लिए संघर्ष कर रहा था। सीआइटीयू संगठनों ने इन चुनावों में वाम पक्षी ताकतों के लिए प्रचार अभियान चलाने के काम में सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने प्रत्येक स्तर पर चुनाव अभियान में भाग लिया। ट्रेड यूनियन मोर्चे पर साहित्य का प्रकाशन किया गया और उसकी प्रतियां हजारों की संख्या में वितरित की गई। उसमें लोगों के सामने जन पक्षीय वाम विकल्प को पेश किया गया और बताया गया कि प्रतिगामी नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के खिलाफ वर्तमान में जारी संघर्ष को आगे बढ़ाने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए इन चुनावों में वाम पक्षी ताकतों की जीत का निर्णायक महत्त्व है। पश्चिम बंगाल तथा केरल में वाम मोर्चे और वाम एवं जनवादी मोर्चे की जीत विशाल बहुमत से हुई है और तमिलनाडु एवं असम इन दोनों राज्यों में वाम दलों की ताकत बढ़ी है। इसके नतीजे के तौर पर वाम दल अब राष्ट्रीय राजनीति में अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगे और श्रमिक आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर मजबूत बनाएंगे।

इस समीक्षा अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक वर्ग के आंदोलन की अनेक घटनाएं घटीं जिनमें उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और इन सभी संघर्षो में सीआइटीयू ने अग्रणी भूमिका निभाई है।

विश्व व्यापार संगठन की हांग कांग में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक से पहले 13 दिसम्बर 2005 को पूरे देश में डब्ल्यूटीओ विरोधी प्रदर्शन किए गए। इन प्रदर्शनों में श्रमिक वर्ग के साथ जनवादी जनता की व्यापक श्रेणियों ने भाग लिया था।

भविष्य निधि की ब्याज दरों में कमी किए जाने के खिलाफ सभी राज्यों तथा देश के अधिकांश औद्योगिक केन्द्रों में अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया गया; उस दिन पूरे देश में प्रदर्शन किए गए। इंटक को छोड़ कर देश के सभी श्रमिक संगठनों ने यह विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया था।

श्रम कानूनों को लागू नहीं किए जाने और श्रम कानूनों में सेवायोजकों के पक्ष में बदलाव लाने की सरकार की कार्रवाईयों के खिलाफ देश भर में 25 से लेकर 31 जनवरी तक विरोध सप्ताह मनाया गया। इसका निर्णय भोपाल में आयोजित सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक में लिया गया था। इस अभियान की चरम परिणति 31 जनवरी, 2006 को सभी राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों तथा औद्योगिक केन्द्रों में विशाल लामबंदियों तथा प्रदर्शनों के रूप में हुई। प्राप्त समाचारों के अनुसार अधिकांश राज्यों ने जिला स्तरीय लामबंदियां करके विरोध सप्ताह आयोजित करने

के लिए पूरी सक्रियता के साथ पहलकदमियां कीं।

सीआइटीयू कार्य समिति ने अमरीका के राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश की भारत यात्रा के समय देश भर में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करने का फैसला भी किया था। इस कार्यक्रम के चलते श्रमिकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा हुआ जो 2 तथा 3 मार्च को देश के अनेक स्थानों में विशाल प्रदर्शनों के रूप में प्रतिबिम्बित हुआ। लोगों ने आगे बढ़ कर इन प्रदर्शनों में भाग लिया और साम्राज्यवाद के खिलाफ गगनभेदी नारे लगाए; लोगों ने साम्राज्यवाद के आगे नतमस्तक होने पर भारत सरकार की निंदा भी की थी। देश भर में आयोजित बुश विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने वाले लोगों में श्रमिक वर्ग का सबसे बड़ा भाग था। जीवन की सभी श्रेणियों से जुड़े लोगों की विशाल संख्या ने इन प्रदर्शनों में भाग लिया। कोलकाता, केरल तथा मुम्बई में लाखों लोगों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किए जबकि हैदराबाद, चेन्नै और दिल्ली में हजारों लोगों ने प्रदर्शनों में भाग लिया था।

देश के सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के संयुक्त मंच अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों की समन्वय समिति की ओर से 18 तथा 19 मार्च, 2006 को मुम्बई में एक दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों के 200 नेताओं ने भाग लिया जो इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए देश के सभी कोनों से आए थे। सीपीएसटीयू की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आगामी वेतन संशोधन को देखते हुए एक सामान्य दृष्टिकोण बनाया गया जिसके आधार पर देशव्यापी लामबंदी की योजना बनाई जाएगी। सीपीएसटीयू ने निजीकरण की कार्रवाईयों का और मजबूती से विरोध करने और सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक इकाई के शेयरों का विनिवेश करने तथा उसे निजी हाथों में दे देने की कार्रवाई किए जाने पर पूरे देश में स्थिति सार्वजनिक इकाईयों में एकजुटता की कार्रवाईयां का फैसला किया गया। सीपीएसटीयू ने 30 मार्च को 'निजीकरण विरोधी दिवस' मनाने का फैसला किया था। यह दिवस लगभग सभी सार्वजनिक इकाईयों में मनाया गया। उस दिन कर्मचारियों की ओर से संयुक्त प्रदर्शन किए गए और प्रधान मंत्री के नाम विरोध की तारें भेजी गई।

पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी किए जाने के खिलाफ 13 जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए गए। इस अवधि की यह एक और राष्ट्रीय महत्त्व की घटना थी। इन विरोध प्रदर्शनों में जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। केरल राज्य में 13 जून को पूर्ण हड़ताल रही। सीआइटीयू तथा दूसरे श्रमिक संघों की ओर से इसमें अग्रणी भूमिका निभाई गई। पश्चिम बंगाल में श्रमिक संघों की ओर से 12 जून को दोपहर 12.00 से 12.05 बजे तक सड़कों की आवाजाई ठप्प की गई। उसके बाद 13 जून को सभी जिलों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किए गए। दूसरे स्थानों पर विशाल विरोध रैलियों का आयोजन किया गया। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, हैदराबाद, बंगलौर जैसे महानगरों में जुझारू विरोध प्रदर्शन होते देखे गए। श्रमिकों ने भारी संख्या में इन प्रदर्शनों में भाग लिया।

इस समीक्षा अवधि में अनेक महत्त्वपूर्ण सेक्टर्स में संघर्ष की अखिल भारतीय कार्रवाईयां की गई। सीआइटीयू ने इन सभी कार्रवाईयों को संगठित करने और इन संघर्षो को आगे बढ़ाने में अग्र गण्य भूमिका निभाई।

एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) के कर्मचारियों ने हवाई अड्डों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल का संघर्ष किया। इस अवधि का यह सबसे अधिक उल्लेखनीय संघर्ष था। देश के 124 हवाई अड्डों पर काम करने वाले 22000 कर्मचारियों ने आधुनिकीकरण के नाम पर दिल्ली तथा मुम्बई के हवाई अड्डों का निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक फरवरी से सभी हवाई अड्डों का काम काम ठप्प कर दिया था। यह हड़ताल चार फरवरी तक चली; कर्मचारियों ने बहादुरी के साथ पुलिस दमन का सामना किया। नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से लिखित में 'एएआइ द्वारा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने से जुड़े प्रश्नों' और कर्मचारियों से सम्बन्धित दूसरे प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन करने का आश्वासन दिए जाने के बाद यह हड़ताल वापस ले ली गई। सरकार ने इस बारे में अपनी प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया था। किन्तु हवाई अड्डों पर काम करने वाले कर्मचारियों ने साहसिक हड़ताल करके एक नए इतिहास का सश्जन किया है। एयरपोर्ट अथारिटी इम्पलाईज़ यूनियन किसी केन्द्रीय श्रमिक संगठन के साथ सम्बद्ध नहीं है किन्तु निजीकरण विरोधी संघर्ष में उसने सीआइटीयू के साथ मिल कर संघर्ष किया

था। यूपीए सरकार देश के सभी हवाई अड्डे किसी भी मूल्य पर निजी हाथों में दे देना चाहती है; इन निजी हाथों में उनके विदेशी सहयोगी भी शामिल हैं; कर्मचारी अब भी इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।

बीएसएनएल के शेयरों के विनिवेश के खिलाफ टेलीकाम कर्मचारियों द्वारा साहसिक एवं संयुक्त पहलकदमी करके 5 जनवरी, 2006 को देशव्यापी हड़ताल की गई। यह इस अवधि की एक और महत्त्वपूर्ण घटना है। यह हड़ताल बीएसएनएल द्वारा स्थापित मिले कापर नेटवर्क को समाप्त करने और निजी आपरेटरों को लाभ पहुंचाने के सरकार के फैसले के विरोध में भी थी। बीएसएनएल इम्पलाईज यूनियन ने सीआइटीयू के सहयोग से पहलकदमी करके सभी कर्मचारी एवं अधिकारी संघों को एकजुट किया और संयुक्त रूप से सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया। बीएसएनएल कर्मचारियों की हड़ताल के आह्वान पर देश भर में भारी उत्साह देखने को मिला। इसे देख कर हड़ताल से पहले ही सरकार को सभी यूनियनों को बातचीत के लिए बुलाना पड़ा। सरकार इस बात पर सहमत हो गई कि इसे 'नवरत्न' कम्पनी माना जाएगा। लास्ट मिले कापर मिल को बंद नहीं किया जाएगा। इसके चलते 5 जनवरी की बीएसएनएल कर्मचारियों की हड़ताल का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया।

कोयला खदानों के मजदूरों ने पिछले वेतन समझौते को लागू कराने के लिए सरकार को हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। कोयला मंत्री को आखिर कोयला खदानों में सक्रिय श्रमिक संघों के साथ समझौता करना पड़ा। कोयला खनिकों के सभी अखिल भारतीय महासंघों ने संयुक्त रूप से सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया था।

इसी तरह केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों और रेलवे श्रमिकों ने छटे वेतन आयोग के गठन की मांग पर जोर देने और दूसरी मांगों के लिए एक मार्च से हड़ताल करने का नोटिस संयुक्त रूप से दिया था। सरकार ने इसके प्रति पूर्णतया नकारात्मक रुख अपना रखा था। किन्तु देशव्यापी हड़ताल की तैयारियों के चलते कर्मचारियों के आंदोलन को जो गति मिली उसे देख कर यूपीए सरकार को अपना संकोच छोड़ कर छटे वेतन आयोग का गठन करने पर सहमत होना पड़ा।

भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा पेन्शन लाभों में सुधार लाने की अपनी मांग के लिए तीन अप्रैल से हड़ताल की गई; कर्मचारियों ने बहादुरी के साथ सरकार की धमकियों और भयभीत किए जाने की कार्रवाईयों का सामना किया जिसके कारण वित्त मंत्री को अंत में मजबूर होकर हड़ताली यूनियनों के साथ बातचीत करनी पड़ी और इस प्रश्न पर परस्पर सहमति का समझौता करना पड़ा था।

मेडिकल एण्ड सेल्स रिपर्जेटेटिव्स की ओर से 14–16 दिसम्बर, 2005 को तीन दिनों के लिए देशव्यापी हड़ताल की गई। यह हड़ताल भी इस अवधि के उल्लेखनीय अखिल भारतीय संघर्षो में एक थी।

इन सभी अखिल भारतीय आंदोलनों का अनुभव साफ तौर पर दर्शाता है कि श्रमिक अपनी एकता और संघर्ष के लिए दृढ़ता के बल पर सभी विघ्न बाधाओं को पार कर सकते हैं; चाहे कितनी कठिनाईयां क्यों न आएं किन्तु वे सेवायोजकों तथा अधिकारियों को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

इसके अलावा भी सीआइटीयू की ओर से राज्य स्तर पर स्वतंत्र रूप से अथवा दूसरे श्रमिक संघों के साथ मिल कर अनेक संघर्ष चलाए गए। इन राज्य स्तरीय संघर्षो के दौरान देखने को मिला कि सभी स्थानों पर श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है और श्रमिकों का निरंकुश दमन किया जाता है; यह सामान्य लक्षण है।

पंजाब में, कामबंदियों तथा श्रमिक अधिकारों पर हमलों के खिलाफ सीआइटीयू की राज्य एवं जिला समितियां सभी स्तरों पर संघर्षो को संगठित करने और श्रमिकों एवं कर्मचारियों को लामबंद करने के काम में व्यस्त रहीं। लुधियाना में साइकिल कारखाना के श्रमिकों ने लम्बे संघर्ष के बाद अपनी यूनियन का पंजीकरण कराने में सफलता हासिल की और सरकार को न चाहते हुए भी उनकी मांग मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेवायोजकों ने तत्काल इसके खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई करते हुए अपनी एक साइकिल फैक्टरी में कामबंदी घोषित कर दी। श्रमिक बहादुरी के साथ

पुलिस और प्रशासन के दमन चक्र का सामना करते हुए अपना संघर्ष अब भी चला रहे हैं; श्रमिकों के नेताओं पर झूठे पुलिस मुकद्दमें बनाए गए हैं और उन्हें जेलों में डाला गया है। श्रम कानूनों को लागू करने और न्यूनतम वेतनों में संशोधन की मांग के लिए राज्य भर में जत्था मार्च किए गए; सभी जिलों में हजारों श्रमिकों की ओर से रैलियां निकाली गई। सीआइटीयू ने केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को सफल बनाने के लिए पहलकदमी की थी। चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम में गुप्त मतदान के द्वारा प्रतिनिधि यूनियन के चुनाव में सीआइटीयू ने भारी बहुमत के साथ सफलता हासिल की और इसके बाद कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की सहज स्वाभाविक कार्रवाई की गई जिसके कारण प्रबंधन को मजबूर हो कर कुछ श्रमिकों को नौकरी से निकालने सम्बन्धी अपने आदेश वापस लेने पड़े। हड़ताली एयरपोर्ट कर्मचारियों के समर्थन में पूरे पंजाब में एकजुटता प्रदर्शन किए गए। ओसवाल वूलन मिल, लुधियाना के कर्मचारियों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। पंजाब भर में हिमाचल प्रदेश के सीआइटीयू कार्यकर्ताओं की हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन किए गए।

हरियाणा के पानीपत शहर में स्पिनिंग मिल के 18000 मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की और एक सप्ताह तक हर रोज आठ से दस हजार श्रमिकों को लामबंद किया गया। आखिर सेवायोजकों को मजबूर होकर न्यूनतम वेतन का भुगतान करने और रोजगार रजिस्टर रखने की मांग पर समझौता करना पड़ा। किन्तु इसके तत्काल बाद सेवायोजकों ने समझौते को लागू करने से इन्कार कर दिया। समझौते के उल्लंघन के खिलाफ मजदूरों का संघर्ष एक बार फिर शुरू हुआ और यह संघर्ष राज्यव्यापी आंदोलन का रूप ले रहा है। करनाल में लिबर्टी फुटवियर के मजदूरों ने सेवायोजक द्वारा त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन किए जाने के खिलाफ अपने संघर्ष में बहादुरी के साथ पुलिस दमन, व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियों और सेवायोजक–पुलिस गठबंधन के उत्पीड़न की कार्रवाईयों का सामना किया है। हरियाणा में राज्य परिवहन के श्रमिकों ने भी परिवहन निगम के काम निजी पार्टियों को दिए जाने के खिलाफ चार दिनों तक मुकम्मल हड़ताल की थी। इस हड़ताल के कारण मुख्य मंत्री को मजबूर होकर यूनियनों के साथ बातचीत करनी पड़ी और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

हिमाचल प्रदेश में पण विद्युत परियोजना के श्रमिकों के जुझारू संघर्ष ने अनेक परियोजनाओं में सेवायोजकों तथा ठेकेदारों को सीआइटीयू यूनियनों के साथ समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा है। एनएचपीसी की चमेरा पण विद्युत परियोजना की प्रमुख ठेकेदार कम्पनी हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन के हथियारबंद गुण्डों की ओर से 10 जून, 2006 को निर्दयता के साथ तीन मजदूरों की हत्या कर दी गई। मारे गए तीन मजदूरों में एक राज्य सीआइटीयू के नेता कामरेड बाबू राम भी थे। पूरे हिमाचल प्रदेश में इन नशंस हत्याओं की तीखी निंदा की गई और 11 जून को इसके खिलाफ राज्य की सभी परियोजनाओं में मजदूरों की ओर से स्वतः सफूर्त हड़ताल की गई। सीआइटीयू की ओर से इसके खिलाफ संघर्ष चलाया जा रहा है। उसकी मांग है कि एचसीसी के सम्बन्धित अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए, एचसीसी को ब्लैक लिस्ट किया जाए और मश्तक श्रमिकों के परिजनों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाए। इस अवधि के दौरान होटल श्रमिकों, आंगनवाड़ी श्रमिकों तथा दूसरी औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों द्वारा संघर्ष किए गए और विशाल लामबंदियां की गई।

हरियाणा में ईट भट्ठा श्रमिकों की यूनियन ने एक महीने तक राज्यव्यापी हड़ताल की। उसकी मांग थी कि वेतनों में संशोधन किया जाए। यह हड़ताल सफल रही और भट्ठा मालिकों की एसोसिएशन को मजबूर होकर राज्य के तीन–चार जिलों में मजदूरों के वेतन बढ़ाने पड़े। दूसरे जिलों में भी अनेक भट्ठा मालिकों को भी अपनी एसोसिएशन के निदेश के विरुद्ध जाकर मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पानीपत शहर में लगभग 300 स्पिनिंग मिलों में काम करने वाले लगभग 18000 मजदूरों की ओर से पुलिस दमन, कारावास के दण्ड और दूसरे दमन चक्रों का सामना करते हुए 9–10 दिनों तक हड़ताल की गई। आखिर जिला प्रशासन को मजबूर होकर दखल देना पड़ा और सेवायोजकों को सीआइटीयू के साथ न्यूनतम वेतन का भुगतान करने और दूसरे श्रम कानूनों को लागू करने का समझौता करना पड़ा। हरियाणा में राज्य परिवहन के श्रमिकों ने सफलतापूर्वक चार दिनों तक मुकम्मल हड़ताल करके राज्य सरकार को यह मानने के लिए मजबूर कर दिया कि परिवहन निगम के काम निजी पार्टियों को नहीं दिए जाएंगे। पुलिस दमन और व्यापक स्तर पर श्रमिकों के नेताओं की गिरफ्तारियां किए जाने पर भी यह हड़ताल सफल रही और इसके चलते पूरे राज्य की परिवहन सेवाएं ठप्प होकर रह गई थीं। हरियाणा रोडवेज में सक्रिय सभी यूनियनों को इस

संघर्ष में एकजुट किया गया। सीआइटीयू ने स्पीडोमोक्स, लिबर्टी जैसी अनेक औद्योगिक इकाईयों में कर्मचारियों की छटनी तथा प्रतिशोध की कार्रवाईयों के खिलाफ संघर्षो का नेतृत्व किया है। गुड़गांव में हीरो होंडा के श्रमिकों का संघर्ष इस अवधि की एक और उल्लेखनीय घटना है जिसके कारण सेवायोजक को मजबूर होकर श्रमिकों की कुछ प्रमुख मांगों को स्वीकार करना पड़ा था।

उड़ीसा में सीआइटीयू को राज्य से आयरन–ओर का अंधाधुंध निर्यात किए जाने और अनेक आयरन–ओर खदानों को विदेशी कम्पनियों सहित निजी हाथों में देने के षडयंत्र के खिलाफ जारी संघर्ष में जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लामबंद करने में सफलता मिली है।

छत्तीसगढ़ में, सीआइटीयू यूनियन ने बालको के शेष बचे 49 प्रतिशत शेयर निजी हाथों में दे दिए जाने के खिलाफ बालको में जारी संघर्ष में सफलतापूर्वक सभी यूनियनों और श्रमिकों को लामबंद किया। राज्य समितियों की पहलकदमी पर राज्य की राजधानी में सरकार की नीतियों तथा श्रमिकों, दलितों एवं जन जातीय लोगों पर हमलों के खिलाफ एक विशाल रैली का आयोजन किया गया।

कर्नाटक में टोयटा किर्लोस्कर के मजदूरों ने जनवरी 2006 में प्रतिशोध की कार्रवाईयों के विरोध में साहसिक संघर्ष किया। यह संघर्ष लम्बे समय तक चला जिसमें सभी 1400 श्रमिकों को शामिल किया जा सका। श्रमिकों की ओर से बहादुरी के साथ पुलिस दमन का सामना किया गया। इस संघर्ष के लिए जापानी श्रमिक संगठन जेनरोरेन का समर्थन हासिल किया जा सका। उसने पहलकदमी करके टोक्यो में टोयटा कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस अवधि में सीआइटीयू श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ और श्रम अधिकारों की रक्षा के लिए जारी संघर्ष में राज्य की अधिकांश यूनियनों को एकजुट करने में सफल रहा और उसकी ओर से श्रमिकों की व्यापक लामबंदी की गई।

आंध्र प्रदेश में सीआइईयू की ओर से जनवरी 2006 में राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का राज्यव्यापी मार्च 20 फरवरी को किया गया और उस दिन हजारों आंगनवाड़ी श्रमिकों की ओर से जिला स्तर पर आवाजाई ठप्प की गई। राज्य सीआइटीयू ने दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों, कर्मचारी फैडरेशनों इत्यादि के साथ मिल कर 3 मार्च को हैदराबाद में विशाल रैली का आयोजन करने के लिए पहलकदमी की थी। इसका आयोजन एशियाई विकास बैंक की 39 वीं वार्षिक बैठक के खिलाफ किया गया था।

तमिलनाडु राज्य सीआइटीयू ने राज्य विधान सभा चुनावों में व्यस्त रहने पर भी राज्य भर में कामकाजी महिलाओं की विशाल रैलियों का आयोजन किया। इन रैलियों अथवा मार्च में विभिन्न सेक्टर्स में काम करने वाली 15000 से अधिक कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया। ये महिलाएं असंगठित एवं संगठित दोनों क्षेत्रों से सम्बन्ध रखती थीं। चेन्नै, त्रिची, तिरुपुर, मदुराई तथा नागरकोयल इत्यादि राज्य के पांच केन्द्रों में ये मार्च एवं रैलियां आयोजित की गई। कामकाजी महिलाओं की 13 सूत्रीय मांगों को उठाने के उद्देश्य से कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समिति की ओर से इसके आयोजन में पहलकदमी की गई थी।

सीआइटीयू की उत्तर प्रदेश राज्य समिति ने राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रीय इकाईयों में सक्रिय यूनियनों की एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया। बैठक में एनटीपीसी की रिहंड तथा ऊंचाहार में स्थिति दो परियोजनाओं में सीआइटीयू यूनियनों की विजय का उल्लेख किया गया। यह भी बताया गया कि राज्य में आंगनवाड़ी श्रमिकों के आंदोलन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से फरवरी–मार्च के दौरान इलाहाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, कानपुर इत्यादि शहरों में आंगनवाड़ी श्रमिकों और दूसरी यूनियनों की बैठक बुलाई जा चुकी है।

उत्तरांचल में इस अवधि के दौरान आंगनवाड़ी श्रमिकों, टेलीकाम विभाग में काम करने वाले ठेका मजदूरों, जल संगठन तथा जल निगम के कर्मचारियों, गढ़वाल मण्डल विकास निगम के श्रमिकों और चीनी मिल के श्रमिकों की रैलियों एवं

प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

सीआइटीयू की दिल्ली राज्य समिति ने इस समीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर संगठित की गई रैलियों और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के आयोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा राज्य सीआइटीयू ने पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद तथा फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में सेवायोजकों की प्रतिशोध की कार्रवाईयों और पुलिस दमन का सामना करते हुए अनेक संघर्ष चलाए हैं।

पेट्रोलियम श्रमिकों, पलाईवुड श्रमिकों, आंगनवाड़ी श्रमिकों के संघर्ष के कार्यक्रमों और लामबंदियों के समाचार भी मिले हैं तथा सीआइटीयू की असम राज्य समिति की ओर से राष्ट्रीय स्तर के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ–साथ चाय बगीचा क्षेत्रों में विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियां चलाई गई। राज्य सीआइटीयू की ओर से एक राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन स्कूल का आयोजन किया गया। अरुणांचल प्रदेश में राज्य स्तर पर सीआइटीयू का संगठन बन जाने के बाद इस समीक्षा अवधि के दौरान श्रमिकों एवं कर्मचारियों की भारी लामबंदियां देखने को मिलीं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा देश के लगभग सभी राज्यों में गतिविधियां चलाई गईं और श्रमिकों की देशव्यापी लामबंदियों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। इस समय महासंघ संसद के आगे एक सप्ताह तक धरना देने का कार्यक्रम बना रहा है। यह धरना 25 जुलाई से दिया जा रहा है और इसमें 10,000 आंगनवाड़ी श्रमिकों के भाग लेने की सम्भावना है।

इस मध्यवर्ती अवधि में सीआइटीयू केन्द्र में 22–23 मार्च को हिन्दी भाषी राज्य समितियों के नेताओं की एक बैठक की गई। बैठक में हिन्दी भाषी राज्यों में सीआइटीयू की गतिविधियों की विस्तार में समीक्षा की गई। एक विस्तृत दिशा निदेश तैयार किए गए; राज्य समितियों से कहा गया कि वे उसके आधार पर राज्य में संगठन की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करें और संघर्ष के कार्यक्रम बनाएं। कार्य समिति की भोपाल में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हिन्दी भाषी राज्यों के लिए 16–18 जून, 2006 को नयी दिल्ली में ट्रेड यूनियन स्कूल का आयोजन किया गया जिसमें इन राज्यों के 33 प्रमुख साथियों ने भाग लिया।

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

जनरल कौंसिल बैठक

15 – 18 जुलाई, 2006

रांची, झारखण्ड

शोक प्रस्ताव

सीआइटीयू जनरल कौंसिल की रांची, झारखण्ड में 15–18 जुलाई, 2006 को आयोजित यह बैठक सीपीआइ (एम) की पोलित ब्यूरो के सदस्य तथा उसकी पश्चिम बंगाल राज्य समिति के सचिव कामरेड अनिल विश्वास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। वह एक असाधारण नेता थे और कम्युनिस्ट आंदोलन विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल की शानदार क्रांतिकारी परम्पराओं में उनका विकास हुआ था। कामरेड विश्वास ने पूरी निष्ठा के साथ मार्क्सवाद–लेनिनवाद के सिद्धांतों पर दृढ़ रहने, पार्टी और जनवादी आंदोलन के विकास में पूरी रचनात्मकता से उसे लागू करने के काम में एक शानदार उदाहरण पेश किया है। सीआइटीयू उनके देहांत पर गहरा शोक व्यक्त करता है और उनके परिवार के शोकाकुल सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता है।

यह बैठक कई सालों तक सीआइटीयू के उपाध्यक्ष रहे और केरल के प्रमुख श्रमिक नेता कामरेड सी कन्नन के देहांत पर गहरा शोक व्यक्त करता है। कामरेड कन्नन ने श्रमिक आंदोलन का निर्माण करने, बीड़ी श्रमिकों तथा निर्माण श्रमिक संघों की आल इंडिया फैडरेशन का विकास करने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बैठक श्रमिक वर्ग के इस महान योद्धा को पूरे आदर के साथ श्रद्धांजति अर्पित करती है।

यह बैठक सीआइटीयू के पूर्व उपाध्यक्ष और सीआइटीयू की तमिलनाडु राज्य समिति के अध्यक्ष कामरेड के रमणी को आदर के साथ श्रद्धांजलि भेंट करती है। श्रमिक आंदोलन के एक असाधारण नेता कामरेड रमणी ने अपना पूरा जीवन जनता के हितों के लिए संघर्ष करने में व्यतीत किया। यह बैठक उनके परिवार के शोकाकुल सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती है।

यह बैठक निम्नलिखित साथियों के देहांत पर गहरा शोक व्यक्त करती है:

1) भारत में कम्युनिस्ट एवं किसान आंदोलन के अग्र गण्य नेता कामरेड कोरताला सत्य नारायणा।
2) केरल में कम्युनिस्ट एवं किसान आंदोलन की पहली पंक्ति के नेताओं में से एक कामरेड टी के रामाकृष्णन।
3) अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष तथा प्रख्यात किसान नेता कामरेड महबूब जहदी। वह एक प्रमुख सांसद भी थे।
4) अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष तथा उसकी राजस्थान इकाई के अध्यक्ष कामरेड श्योपत सिंह। वह राजस्थान में किसानों के एक जुझारू नेता थे और उन्होंने किसानों के अनेक संघर्षो का नेतृत्व किया था।
5) महाराष्ट्र राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष कामरेड के के पवार।
6) बिजनौर (उत्तरांचल) के गणमान्य श्रमिक नेता कामरेड अलबेल सिंह।
7) उत्तर प्रदेश में किसानों और खेत मजदूरों के नेता कामरेड शमशेर खां।
8) जनवादी लेखक संघ के महासचिव कामरेड ओम प्रकाश गरेवाल।
9) बीमा कर्मचारियों के प्रमुख नेता कामरेड आर पी मनचंदा।

जनरल कौंसिल इस सभी दिवंगत नेताओं को पूरे आदर के साथ श्रद्धांजलि भेंट करती है।

शहीदों को श्रद्धांजलि

सीआइटीयू जनरल कौंसिल की रांची, झारखण्ड में 15–18 जुलाई, 2006 को आयोजित यह बैठक श्रमिक आंदोलन, किसान, खेत मजदूर, युवा, छात्र, महिला एवं जनवादी आंदोलन के दूसरे क्षेत्रों के आंदोलनों में पूरे साहस के साथ अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले साथियों का स्मरण करती है। इन साथियों ने वर्ग शत्रुओं के बर्बर हमलों का सामना करते हुए शहादत का जाम पिया था। उन्होंने जनवादी आंदोलन पर अपनी स्थायी छाप छोड़ी है। वे सदा शोषण और उसके साथ–साथ अलगाव वादी, विभाजक, साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ और राष्ट्र की अखण्डता एवं जनता की एकता की रक्षा के लिए जारी श्रमिक वर्ग के आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

यह बैठक कामरेड बाबू राम, विजय और दान सिंह भण्डारी को पूरे आदर के साथ सलाम कहती है जिन्होंने चम्बा (हिमाचल प्रदेश) में 10 जून, 2006 को चमेरा पण विद्युत परियोजना–III के ठेकेदार के हथियारबंद गुण्डों की बर्बरता का सामना करते हुए महान बलिदान दिया है। इन साथियों ने वहां परियोजना श्रमिकों के संघर्ष को संगठित करते हुए शहादत का जाम पिया है। यह बैठक तीखे शब्दों में इस बर्बर कार्रवाई की निंदा करती है।

यह बैठक आतंकवादियों द्वारा डोडा (कश्मीर) में किए गए उस जघन्य हमले की निंदा करती है जिसमें 22 निदोर्ष लोग मारे गए थे। यह बैठक छत्तीसगढ़, जाजपुर (उड़ीसा) तथा देश के दूसरे भागों में जन जातीय लोगों की बर्बर हत्याओं की भी निंदा करती है।

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
जनरल कौंसिल बैठक

15 – 18 जुलाई, 2006
रांची, झारखण्ड

न्यायपालिका और भारत का श्रमिक वर्ग
पर विशेष चर्चा

नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के लागू होने के पहले दिन से ही केन्द्र में एक के बाद बनने वाली दूसरी सरकार ने वर्तमान श्रम कानूनों में अनर्थकारी बदलाव लाने की कोशिशों में लगी रही हैं। यह अभियान चलाने के पीछे काम करने वाले उनके इरादे इस प्रकार हैं : क) ट्रेड यूनियन आंदोलन के रास्ते में कानूनी बाधाएँ खड़ी करना और ख) इन श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को कम से कम औपचारिक तौर पर हासिल कानूनी अधिकार और संरक्षण वापस ले लेना। उनका परम लक्ष्य आर्थिक संकट का भार मेहनतकश अवाम पर डालने के सदियों से चल रहे शोषक श्रेणियों के जघन्य खेल को समाप्त करने के लिए बढ़ते चले जा रहे संघर्षो को कुचलना है।

ठोस अर्थो में सेवायोजकों अथवा मालिकों की श्रेणी चाहती है कि 'हायर एण्ड फायर' को कानूनी रूप दे दिया जाए और कामकाजी स्थलों का व्यापक स्तर पर संविदाकरण तथा अस्थायीकरण हो जाए; ठेकेदारों तथा मालिकों को अपने यहां काम करने वाले ठेका एवं अस्थायी श्रमिकों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से पूरी तरह छुटकारा दिला दिया जाए। वास्तव में, सत्ताधारी श्रेणी की ओर से श्रम कानूनों में बदलाव लाने के लिए की जा रही इस पूरी की पूरी कार्रवाई का उद्देश्य रोजगार सम्बन्धों को इस हद तक लचीला बना देना है कि वे (रोजगार सम्बन्ध) अस्पष्ट बन जाएं और उनका छद्म रूप लोगों के सामने आए। इस तरह सेवायोजकों अथवा मालिकों को समाज के लिए दौलत पैदा करने वाले और उन्हें मुनाफा देने वाले श्रमिकों के प्रति उनके सभी दायित्वों से उन्हें छुटकारा हासिल करने में मदद मिले।

न्यायपालिका द्वारा अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन

नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के शैतानी युग का आरम्भ हो जाने के बाद डेढ़ दशक की लम्बी अवधि में राज्य की विधायिका और कार्यपालिका के दोनों अंगों ने केन्द्रीय एवं राज्यों दोनों ही स्तरों पर कानूनों में सेवायोजकों के पक्ष में बदलाव लाने की दिशा में अधिक प्रगति नहीं की है। इसके अनेक कारण हैं।

विधान मण्डल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक निकाय है और श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में चलने वाला जन आंदोलन श्रम कानूनों में इस तरह के बदलाव लाए जाने के खिलाफ है; सामान्य तौर पर नव–उदारवादी नीतियां सम्बन्धित मुद्दों पर उनके रुख को प्रभावित करती हैं किन्तु इस पर भी इन आंदोलनों ने निर्वाचित निकायों में राजनीतिक सम्मीकरण बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार की पराजय और इसके बाद यूपीए सरकार का वाम राजनैतिक पार्टियों पर निर्भर होना राजनीतिक सम्मीकरणों में इस तरह के बदलावों की अभिव्यक्ति है; जन आंदोलनों के कारण ही ये बदलाव लाए जा सके हैं। इन आंदोलनों ने श्रमिकों और जनता से जुड़े प्रश्नों पर

सेवायोजकों के पक्ष में आमूल परिवर्तन लाए जाने के मार्ग में रुकावटें पैदा की हैं।

इस तरह की स्थिति में, न्यायपालिका ने आगे बढ़कर इस शून्य को भरा है और उसने विधान मण्डल की भूमिका को हड़प लिया है। पूँजीवाद की ताकतों देशी और विदेशी दोनों द्वारा नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के दृष्टिकोण के 'राज्य' को पूरी तरह अपने अधीन कर लिया है; इस युग में न्यायपालिका ने भी अपनी सीमा रेखा से बाहर चली गई है; हो सकता है कि इसे राज्य के एक अंग की ओर से दूसरे दोनों अंगों की विफलता के कारण पैदा शून्य को भरने का प्रयास कह दिया जाए। वैसे 'राज्य' मेहनतकश जनता के जनवादी अधिकारों का दमन करने के मामले में पीछे नहीं रहता। इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है, ''इन प्रयासों के असफल रहने के बाद अब न्यायपालिका की बारी है; वह आगे बढ़े और जनतंत्र जिसके अन्तर्गत लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, को अपनी सीमाओं में ले आए।'' अब यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले लगभग एक दशक अथवा उससे अधिक समय में श्रमिक वर्ग के जनवादी अधिकारों के मुद्दों पर न्यायपालिका का रुख उदारीकरण के नए लोकाचार को प्रतिबिम्बित करता है। उसका रुख बाजार अर्थव्यवस्था के प्रति मित्रवत है और वर्गों में विभाजित समाज की विचारधारा की पुष्टि करता है। उसके अनुसार 'सत्ताधारी श्रेणियों का दृष्टिकोण जिसका बोलबाला होता है, न्यायपालिका सहित राज्य के सभी अंगों पर अपना प्रभाव डालता है।'

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायधीश, वी.आर. कृष्णा अय्यर ने कहा ''उनकी दिखावे की निष्पक्षता में वर्ग पक्षधरता का समावेश हो जाता है; यह हंसी मजाक की बात नहीं है।'' प्रो. जे.ए.जी. ग्रिफिथ की पुस्तक 'न्यायपालिका की राजनीति' का हवाला देते हुए श्री अय्यर आगे कहते हैं ''न्यायधीश भी तो मानव होते हैं; वर्गीय पक्षधरता से मुक्त नहीं रह सकते, भले ही वे जानबूझकर वर्गीय पक्षपात न करें पर उनका अचेत मन वर्गीय पक्षधरता के आगे समर्पण कर ही देता है।''

झुकाव की अवधि

फिर भी हम अपनी बात कहने से पहले आर्थिक उदारीकरण के इस युग में न्यायालयों द्वारा दिए गए घोर श्रमिक–विरोधी निर्णयों पर एक नजर डालना चाहेंगे। इस अवधि में न्यायालय का रुख क्या है और आर्थिक उदारीकरण की नीतियां शुरू होने से पहले उसका रुख क्या था; इस पर विचार करना तर्क संगत रहेगा। यह भी एक तथ्य है कि उदारीकरण की अवधि में भी न्यायपालिका ने मेहनतकश अवाम के अधिकारों को बनाए रखते हुए कामगारों के पक्ष में भी अपने फैसले दिए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने उस अवधि के दौरान जब बुर्जआ–सामंती सरकार को अपने कार्य{म को लागू करने के लिए मेहनतकश अवाम के समर्थन की जरूरत थी, संविधान के निदेशक सिद्धांतों का आदर किया और उन्हें अमल में उतारा था। 1980 के दशक तक न्यायपालिका की ओर से दिए गए फैसलों में उसके एक विशेष रुख का प्रदर्शन होता है; यह रुख था अदालत के फैसलों में संविधान के सामाजिक दर्शन को जोड़ना।''

उच्चतम न्यायालय ने एक सामान्य राहत के रूप में पिछले बकाया वेतनों के साथ कामगारों को उनकी नौकरी में बहाल करके रोजगार सुरक्षा का एक तंत्र मेहनतकश अवाम के लिए स्थापित किया था; उसने वेतनों और बोनस के मामले में लेबर ट्रिब्यूनलों द्वारा दिए गए अनेक फैसलों को बनाए रखा था; उसने आकस्मिक एवं अस्थायी श्रमिकों अथवा दिहाड़ीदार मजदूरों को नियमित कराया था; उद्योग की परिभाषा को व्यापक बनाया था जिसके फलस्वरूप मेहनतकश अवाम की एक बहुत बड़ी संख्या को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा मिली थी।

न्यायालय ने ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अंतर्गत रोहताश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनाम रोहताश इंडस्ट्रीज़ कर्मचारी यूनियन (1976) 2 एससीसी 82 के मुकद्दमें में कामगारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान की थी; उसने नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन बनाम आर पी रामाकृष्णा (1983) 1 एससीसी 228 के मुकद्दमें में कम्पनी को बंद करने की कार्रवाई में

श्रमिकों को भाग लेने का अधिकार प्रदान किया था। उसने बी.आर. सिंह बनाम भारतीय संघ (1989) 4 एससीसी 710 के मुकद्दमें में एक कानूनी अधिकार के रूप में हड़ताल के अधिकार को मान्यता दी थी। उसने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एन की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा था (उसने अपने फैसले में साफ़ कहा था कि सरकार की अनुमति के बिना कामगारों की छँटनी नहीं की जा सकती) की संवैधानिक वैधता को समर्थन दिया; उसने कामगार बनाम महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड (1992) 3 एससीसी 336 के मुकद्दमें में व्यापार और कारोबार करने के सेवायोजक के अधिकारों पर उचित अंकुश लगाया था।

कामगार विरोधी मानसिकता

परन्तु एक के बाद दूसरी सरकारों द्वारा नव–उदारीकरण की सामाजिक–आर्थिक नीतियों विशेष तौर पर 1991 के बाद के प्रभाव में हमारे देश की न्यायपालिका के रुख की दिशा में बदलाव आया है। अदालत का दृष्टिकोण बदल चुका है; दृष्टिकोण के इस बदलाव के फलस्वरूप श्रमिकों के अधिकारों का जबरदस्त क्षरण हुआ है और सेवायोजक के पक्ष कानून को परिभाषित किया जा रहा है।

न्यायपालिका यह मानसिकता इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर प्रदर्शित हुई है जैसे हड़ताल करने के मजदूरों के अधिकार; काम से निकाले गए मजदूरों को बहाल करने और बकाया वेतन देने से इन्कार करके बड़ी चालाकी के साथ 'हायर एण्ड फॉयर' के सिद्धांत को लागू करने; वर्षों से काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, अस्थायी श्रमिकों को नियमित करने; कर्मचारियों पर अपने रोजगार का प्रमाण पत्र पेश करने का बोझ डालना जबकि इस तरह का प्रमाण पत्र सेवायोजक के पास हो सकता है; कामगार की परिभाषा; सेवायोजक–कर्मचारी सम्बन्ध हैं भी या नहीं हैं, इसका निर्धारण करने के लिए जांच करने; अनुशासन की कार्रवाईयों के मामले में अदालत का नुकसानदेह और अति कानूनी रुख इत्यादि।

बदली मानसिकता के इस युग में न्यायपालिका सेवायोजकों के पक्ष में और कामगारों के खिलाफ कानून के प्रावधानों से भी आगे चले जाने के लिए उतावली हो गई है। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिल जाता है कि जज सम्बन्धित कानून के वैधानिक प्रावधानों का पालन करने की बजाए अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने लगे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय देते हुए कहा था कि "विशेषाधिकार का उपयोग करके अदालत में दिए गए निर्णय की पुष्टि सदा कानून के द्वारा हो, यह जरूरी नहीं।"

ट्रेड यूनियनों के मूलभूत अधिकारों पर हमला

मौजूदा न्यायपालिका श्रमिकों के मूल अधिकारों पर निशाना साध रही है; श्रमिक वर्ग ने कठोर संघर्ष करके ये अधिकार हासिल किए थे – वह भूमण्डलीयकरण, निजीकरण और उदारीकरण की विचारधारा के प्रति अधिक से अधिक वचनबद्ध होती जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में अपना कुख्यात निर्णय देकर मेहनतकश अवाम के मूल अधिकारों पर सबसे अधिक दुःखदायी हमला किया था। उसने अपने फैसले में कहा था, "जहां तक हड़ताल करने के अधिकार का प्रश्न है – चाहे यह मौलिक अधिकार हो अथवा वैधानिक अथवा हड़ताल करने का समतापूर्ण नैतिक अधिकार – हमारे दृष्टिकोण से सरकारी कर्मचारियों को ऐसा कोई अधिकार हासिल नहीं है।" इसी तरह का एक और हमला केरल उच्च न्यायालय ने 'बंद' का आह्वान करने राजनीतिक दलों के अधिकार के खिलाफ फैसला देकर किया तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह का एक फैसला देकर सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगा दी थी।

उच्चतम न्यायालय ने इसी वर्ष फरवरी में उस समय तक प्रदर्शनों, धरनों तथा रैलियों का आयोजन करने; लेख इत्यादि प्रकाशित करने पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी थी जब तक उनके मामले अदालतों में लम्बित हैं। इस तरह की घोषणाएं बोलने एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारी अंकुश लगाने वाली हैं। उस घटना को याद किया

जाए जबट्रेड यूनियन नेता शंकर गुहा नियोगी के हत्यारे को दोषमुक्त करार दिए जाने सम्बन्धी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सैल को सात दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया था। निर्णय की घोषणा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ''यह आरोप कि न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह सम्पन्न व्यक्तियों को दण्ड दे सके, न्याय के प्रशासन को उपहास का पात्र बनाएगा और उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इस तरह की मानसिकता को सख्ती से दबाया जाना चाहिए।''

न्यायपालिका द्वारा विभिन्न मुकद्दमों में फैसला देते समय प्रतिबंध एवं अंकुश लगाए जाने की उपरोक्त घोषणाएं किए जाने से सेवायोजकों की श्रेणी को उत्साह मिला है। वे अपनी रोजमर्रा की ट्रेड यूनियन विरोधी गतिविधियों में विभिन्न अदालतों में जाकर इस तरह की घोषणाएं करा लेते हैं। गेट मीटिंगों और कामकाजी स्थलों पर अथवा कामकाजी सीलों के निकट प्रचार अभियान चलाने जैसी साधारण गतिविधियों बड़ी उदारता के साथ प्रतिबंध लगाने के आदेश पहले–से ही जारी कर दिए जाते हैं। हड़ताल शुरू होने से पहले ही उसे गैर–कानूनी घोषित कर दिया जाता है। इस तरह की कार्रवाईयों से सेवायोजकों के हौंसले बढ़ जाते हैं; वे निडर होकर ट्रेड यूनियन नेताओं पर धावा बोल देते हैं और साधारण मजदूरों में अपना आतंक पैदा करते हैं।

न्यायालय के इस कामगार विरोधी दृष्टिकोण अत्यंत सुनियोजित है और इस फैसले से अधिक स्पष्ट हो जाता हैमार्ग सुनियोजित रूप से बनाया गया है कि ''उच्चतम न्यायालय का नवीनतम दृष्टांत दुखद रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए प्रगतिवादी अधिकार युक्त निर्णयों के तत्व और भावना के विपरीत है, जिसने अनेक अभूतपूर्व न्यायधीश प्रदान किए हैं।

यह बहुत गंभीर रोष का मामला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों ने आभासी नकलीपन का आश्रय लिया है जैसा कि 13 अगस्त 2003 को 'हिन्दू' के सम्पादकीय के शीर्षक ''उच्चतम न्यायालय और हड़ताल का अधिकार'' में कहा गया कि ''हाल के मामले में न्यायालय ने दृष्टांत दिया है, जो हमेशा संदर्भ में नहीं है, विभिन्न निर्णय इसे प्रभावित करते हैं कि ''कर्मचारियों को हड़ताल का मूलभूत अधिकार नहीं है,'' कि ऐसी कोई संवैधानिक अधिकार की गारंटी नहीं है, कि ''प्रभावी सामूहिक मोलभाव किया जा सके,'' कि हड़तालों को ''वर्तमान स्थिति में'' उचित नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे यह केवल एक न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कारण हो, तथा कि हड़ताल का सहारा लेने का यह अर्थ नहीं है कि ''यह किसी न्याय की तुलना में अधिक नुकसान करता है।'' इस सम्पादकीय में आगे कहा गया है कि ''यदि ये वक्तव्य वास्तविक धरातल से मेल खाते थे तो वर्ष 2003 में भारत अपने कामगार व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार के सम्मान के बिना, एक लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता था।''

बहाली पर पिछला पूरा वेतन नहीं मिलना

उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध जसबीर सिंह (2005) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने देखा कि अब तक न्यायालय ने कामगारों के अधिकारों पर तथा नियोक्ताओं पर उनके व्यवस्थित करने के अधिकारों की अनुचित कटौती पर काफी अधिक बल दिया है।

न्यायालय ने अपने पूर्व दशष्टिकोण को प्रत्यक्ष रूप से नकारते हुए रोष व्यक्त किया कि ''रोजगार और गैर–रोजगार के मामलों ने बड़ी संख्या में औद्योगिक तथा श्रम संबंधी दावे पैदा किए हैं, जिसके फल स्वरूप पिछले वर्षों के लिए पिछला पारिभाषिक पाने के लिए बड़ी मात्रा उन कामगारों के वैध देय राशियों के रूप में प्रदान की गई, जिन्हें गैर–कानूनी रूप से सेवा से अलग किया गया या उनकी सेवाएँ समाप्त की गई थीं। अनेक मामलों में यह भार स्वरूप राशि मध्यम श्रेणी के नियोक्ताओं को अपने उद्योग बंद करने के लिए बाध्य कर देती है। लघु उद्यमों को उद्योग के रूप में लेने वाले श्रम न्यायालयों द्वारा बहाली और बकाया पारिश्रमिकों के भुगतान से वे एक गंभीर औद्योगिक जोखिम महसूस कर रहे हैं, विशेष कर जो निजी क्षेत्र में संलग्न है।'' न्यायालय ने कामगारों को नियोक्ताओं के समकक्ष बताते हुए राय दी कि कामगारों ने नियोक्ताओं का समान रूप से शोषण किया है और घोषणा की कि कामगारों और नियोक्ताओं दोनों द्वारा शोषण पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (प) में आए ''उद्योग'' पद को पुनः परिभाषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पाया है कि बैंगलोर जल आपूर्ति और मल जल मण्डल विरुद्ध आर. राजप्पा : ए आई आर 1978 एस सी 548 और 969 में न्यायालय के ज्ञानी न्यायाधीश केवल उद्योग के कार्य क्षेत्र के बाहर सर्वश्रेष्ठ कार्यों तक सीमित प्रतीत होते हैं, जिसे कठोरतापूर्वक राज्य के तीन स्कंधों, नामतः कार्यपालिका, विधान मण्डल और न्यायापालिका, के संवैधानिक कार्यों के रूप में लिया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ की संकल्पना एक संवैधानिक लोकतंत्र में भिन्न होती है। संविधान द्वारा नियंत्रित एक लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठता व्यक्तियों में निहित होती है और सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सार्वजनिक कल्याण की गतिविधियाँ करती है। सर्वश्रेष्ठ कार्यों के निर्वहन में उक्त कार्यकलाप उद्योग के कार्यक्षेत्र के बाहर आते हैं।

अब न्यायालय ने लम्बे समय से स्तंभ के रूप में दिए गए अपने ही निर्णय, कि सेवा में बहाली पर कामगार को पिछला पूरा पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, को पलटते हुए पिछले पारिश्रमिक और सेवा की सुरक्षा की क्षति को ठुकराते हुए एक नया निर्णय दिया है।

यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने एक घोषणा पर पिछले पूरे पारिश्रमिकों के भुगतान के पूर्व निर्देश में कहा है कि सेवा समाप्ति का अवैध आदेश इसका सामान्य परिणाम हुआ करता था परन्तु अब यह अनुभव किया गया है कि उद्योग को अपने कामगार को उस अवधि के लिए भुगतान हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, जो अनुत्पादक था अथवा जिस दौरान उसका कुछ भी योगदान नहीं था।

न्यायालय इस पर मौन रहा कि जब औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत निर्णय के मामले में न्याय एक कहावत है तो वरिष्ठ न्यायालयों के लिए यह अनुचित होगा कि वे यांत्रिक रूप से विधान के कठोर नियम उन पर लागू करें। न्याय की व्याख्या इसके अधिकार क्षेत्र में आकर एक व्यक्ति को बताएगी कि उसे क्या देय है और कानूनी तौर पर उसे क्या नहीं दिया जा सकता है। एक व्यक्ति को कुछ पाने की पात्रता सिर्फ इसलिए नहीं है कि कानूनी तौर पर ऐसा किया जाना चाहिएं

इस प्रकार कलम की एक चोट से न केवल गलत तरीके से नौकरी से निकालने के मामले से पिछला पूरा वेतन पाने का अधिकार बल्कि रोजगार सुरक्षा का अधिकार भी वापस ले लिया गया है– क्योंकि बहाली के आदेश में पिछले पारिश्रमिक का भुगतान करने की देयता से नियोक्ता द्वारा जल्दी/कपटपूर्ण कार्रवाइयों को बल मिलता था। यू.पी. ब्रास वेयर कॉर्पोरेशन लि. और अन्य विरुद्ध उदय नारायण पाण्डे (2006) 1 एसीसी 479।

''समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं''

सर्वोच्च न्यायालय वैश्वीकरण की वर्तमान घातक नीति से किस प्रकार प्रभावित हैं, यह दो अवधियों से संबंधित एक ही विषय पर दो निर्णयों में स्पष्ट रूप से झलकता है – जो वैश्वीकरण की नीति आरंभ होने के पहले और बाद में देखी गई। रणवीर सिंह विरुद्ध भारतीय संघ के बीच मामला निपटाते समय 1982 में उच्चतम न्यायालय ने कामग़ारों के पक्ष में मत दिया और इस पर टिप्पणी की गई कि संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण इसे एक मूलभूत अधिकार के स्तर तक उठाया गया।

अब अपने ही निर्णय को बदलकर और कामगारों के पक्ष में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय को किनारे रख कर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की गई अपील पर निपटारा करते हुए उच्चतम न्यायालय की एक तीन सदस्यीय पीठ ने पाया ''समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का प्रत्येक मामले पर कोई यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं है।'' उच्च न्यायालय को फटकार लगाते हुए पीठ ने दावा किया कि ''ये ऐसे मामले नहीं है जिनमें एक लिखित न्यायालय हल्के तरीके से दखलंदाज़ी करे .... इन सभी मामलों में हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर दश्ष्टिहीन की तरह कार्रवाई की है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की विचारधारा किसी संगत कारक

की जाँच के बिना ही लागू होती है।''

शब्दों को काटे बिना उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि यह वैश्वीकरण की नीति से प्रभावित है। यू.पी.स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लि. विरुद्ध उदय नारायण पाण्डे के बीच के मामले में निर्णय लिखने के दौरान 8 दिसम्बर 2005 को निर्णय लिया गया, दो सदस्यीय पीठ ने नोट किया है ''इस न्यायालय के अगले निर्णयों द्वारा लाए गए परिवर्तन संभवतया प्रचलित बाज़ार अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण, निजीकरण और आउट सोर्सिंग को देखते हुए सरकार के नीति निर्णयों में परिवर्तन के संबंध में है, जो स्पष्ट है।''

जैसा कि हम पूँजीवादी वैश्वीकरण के तहत ''बाज़ार अर्थव्यवस्था के प्रबल समर्थकों से सुनते हैं कि वर्तमान आर्थिक युग में यदि ट्रेड यूनियनों की गतिविधियाँ पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं की जातीं तो इन पर कटौती अवश्य की जानी चाहिए, इस लिए उच्चतम न्यायालय ने भी कामगारों का उपदेश दिया है क : ''प्रचलित स्थिति में . . . . . . उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए हड़ताल पर जाने के बजाय, यदि कर्मचारी कुछ अधिक कार्य ईमानदारी, परिश्रम और सक्षमतापूर्वक करते हैं तो इन हाव–भावों की न केवल प्राधिकारी प्रशंसा करेंगे, बल्कि अधिकांश व्यक्ति भी इसकी सराहना करेंगे।''

ये उद्घोषणाएँ निस्संदेह वर्ग के प्रति पक्षपात, साहसिकता और उपहास की घशणित अभिव्यक्ति हैं। एक ओर, कामगार अपने मूलभूत अधिकारों से पूरी तरह वंचित हैं, राज्य मशीनरी की निर्दयताएँ भूखे कामगारों पर बरसाई गई, ट्रेड यूनियन बिखर गए हैं और ट्रेड यूनियन आयोजकों की मौतें लगातार बढ़ रही हैं और दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय कागारों को 'ईमानदारी', 'निष्ठापूर्वक' और 'संक्षमता' से कार्य करने का उपदेश दे रहा है।

संविदा श्रमिक – समापन पर कोई रोजगार नहीं

एयर इंडिया विरुद्ध यूनाइटेड लेबर यूनियन : (1997) 9 एससीसी 377 में उच्चतम न्यायाालय ने कहा कि संविदा श्रम की समाप्ति पर सभी संविदा श्रमिक स्वतः ही प्रधान नियोक्ता के कर्मचारी बन जाते हैं। जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया विरुद्ध नेशनल यूनियन ऑफ वॉटर फ्रंट वर्कर्स : (2001) 7 एसीसी पश्ष्ठ 1 : उच्चतम न्यायालय ने अव्यवस्थित कानून को व्यवस्थित किया तथा संविदा श्रम की समाप्ति पर स्वतः रोजगार में लिए जाने के विरुद्ध नियम बनाकर एक ऐसी स्थिति पैदा की, जहाँ कामगार के अधिकारों को गंभीर क्षति पहुँची। आगे के मामलों में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निर्णय के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने एक अपेक्षाकृत कठोर रवैया अपनाया चाहे यह ऐसे मामले थे, जिनमें स्थायी और बहुवार्षिक प्रकार के कार्य ने संविदा श्रमिक को प्रधान नियोक्ता का कर्मचारी बनने में समक्ष किया। न्यायालय ने कहा कि जबकि नियोक्ता–कर्मचारी के संबंध निर्धारण में नियंत्रण एक महत्वपूर्ण परीक्षण था, परन्तु यह एकमात्र परीक्षण नहीं था। न्यायालय ने कहा कि चाहे नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध वास्तविक हैं अथवा एक ठेकेदार के माध्यम से एक धुंधला पर्दा या एक आवरण है, वास्तव में इस तथ्य का निर्धारण संबंध की विशेषताओं, रोजगार की लिखित शर्तें और रोजगार का वास्तविक प्रकृति के आधार पर किया जाए, जिन्हें औद्योगिक निर्णायकों द्वारा तय किया जाना है। न्यायालय ने बताया कि तथ्यों को सुनिश्चित किए बिना कामगारों को कोई राहत नहीं दिलाई जा सकती है।

राजस्थान आवास विकास संगठन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इसके संदर्भित मुद्दों से काफी आगे जाकर नियोक्ता (इस मामले में राजस्थान सरकार) को पुनर्गठन तथा जनशक्ति कम करने और पदों को समाप्त करने के लिए सशक्त बनाया और नियोक्ता द्वारा बेसहारा छोड़ दिए गए कर्मचारियों के पुनः रोजगार की कोई बाध्यता नहीं बनाई।

राजस्थान उच्च न्यायालय प्रभागीय पीठ के भिर्णय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने नष्ट कर दिया, से प्रभावित कर्मचारियों को वेतन–सुरक्षा और सेवा की निरंतरता के साथ पुनः रोजगार के लाभ मिले, जबकि राज्य आवास मण्डल की एक

इकाई को बंद करने की अनुमति दी गई। वास्तव में न्यायालय ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना के परे जाकर कार्य किया और नियोक्ता को 'काम पर रखो और निकालों के अधिकार' से मुक्त करने का निर्णय दिया, जिसकी दुहाई उदारीकृत आर्थिक नीति कार्य क्षेत्र के आरंभ से ही नियोक्ता वर्ग देता रहा है। मीडिया ने इसे जिस उत्साह से उठाया, इस निर्णय ने सिद्ध कर दिया कि बहुप्रतीक्षित ''श्रम बाज़ार सुधार'' न्यायपालिका के सौजन्य से आ पहुँचे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कैंटीन के कामगारों के विरुद्ध भी निर्णय दिया, जबकि वह कैंटीन कम्पनी द्वारा कम्पनी के परिसर में फैक्टरी अधिनियम, 1948 के तहत इसकी संवैधानिक बाध्यताओं के अंतर्गत बनाया गया था। न्यायालय ने कहा कि कामगारों को कम्पनी द्वारा नियुक्त कामगार ही बनाकर नहीं रखा जा सकता क्योंकि : (i) कैंटीन के कर्मचारियों को सीधे कम्पनी द्वारा रोजगार नहीं दिया गया है; (ii) वे कम्पनी के नियमित और प्रत्यक्ष कर्मचारियों द्वारा उठाए गए अवकाश तथा अन्य लाभ के लिए कम्पनी के पास नहीं गए; (iii) उन्हें रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद ठेकेदारों से पारिश्रमिक मिलता था; (iv) वे केटरर द्वारा बनाए गए उपस्थिति–सह–वेतन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते थे।

यह स्पष्ट कि न्यायालय पूरी तरह से कानूनी दशष्टिकोण अपनाते हुए इस तथ्य की उपेक्षा की है कि क्योंकि कर्मचारी ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए थे, इनमें से कोई भी अपेक्षाएँ पूरी नहीं की जा सकीं और यह वास्तविकता कि वे प्रधान नियोक्ता के कर्मचारी थे, इसका निर्धारण नियंत्रण के आधार पर और बहुवार्षिक एवं स्थायी प्रकार के कार्य से किया जा सकता था। राम सिंह विरुद्ध केन्द्र शसित प्रदेश, चंडीगढ़ : (2004) 1 एससीसी 126 और कोट्स ऑफ इंडिया की कैंटीन के कर्मचारी विरुद्ध कोट्स ऑफ इंडिया लि. : (2004) 3 एससीसी 247।

नियमितीकरण को अलविदा

यद्यपि, न्यायालय का सबसे बड़ा आघात उन कर्मचारी वर्गों पर हुआ है जो लगातार कई वर्षों से आकस्मिक और अस्थायी दैनिक वेतन कामगारों के रूप में कार्यरत हैं। न्यायालय ने कहा कि वे नियमित रोजगार के अर्हक नहीं है। सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य विरुद्ध उमा देवी और अन्य (2006) 4 एससीसी पशष्ठ 1 में न्यायालय ने इस विषय पर बने कानून पर रोष व्यक्त किया और घोषित किया कि चाहे कर्मचारियों की ये श्रेणियाँ वर्षों से रोजगाररत हैं, इन्हें नियमित होने की पात्रता नहीं है, क्योंकि न्यायालय के अनुसार ऐसे लाखों व्यक्ति हैं, जो रोजगार की प्रतीक्षा में हैं। न्यायालय इस पर विचार करने के लिए नहीं रुका कि नियमों के अनुसार नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं करने के लिए प्राधिकारी क्या करते हैं और यह नहीं पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। एक ओर इस निर्णय से न्यायालय ने प्राधिकारियों को लंबे समय तक दैनिक–पारिश्रमिक पाने वाले कामगारों के रूप में रखकर निर्धन कामगारों को बेरहमी से शोषण करने की छूट दी और दूसरी ओर उनके नियमित रोजगार के अधिकार को ठुकरा दिया।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संविदा श्रम (नियमन और समापन) अधिनियम के निर्दयतापूर्वक किए गए उल्लंघन को देश भर में असमानान्तर स्तर पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अग्रणी होने पर कानूनी जामा पहनाता है और वस्तुतः यह अधिनियम संशोधित हो जाता है, जिसे सरकार अब तक 'आर्थिक सुधार' के युग में असफल रूप से आज़माती रही है। वास्तव में इस अधोगामी निर्णय से न्यायालय ने गुलामी को प्रतिपादित किया है। उच्चतम न्यायालय के इन निर्णयों से पिछले दरवाज़े से काम पर रखो और हटाओ की विचार धारा की शुरूआत की है।

एक अन्य नियोक्ता–उन्मुख पूर्वग्रह नगर निगम, फरीदाबाद विरुद्ध श्रीनिवास (2004) 8 एससीसी 195 के बीच मामले में प्रकट हुआ। इस तथ्य की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए कि एक कर्मचारी के रोजगार से संबंधित दस्तावेज़ प्रबंधन के पास हैं, न्यायालय ने कहा कि यह सिद्ध करने का भार, कि कामगार ने कथित निष्कासन से पूर्व पिछले 12 कैलेंडर माह में 240 दिनों तक कार्य किया है और इस प्रकार साक्ष्य कानून के प्रचारित सिद्धांत को किनारे कर दिया कि इस तथ्य के प्रमाण के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य रोजगार के मामले में सर्वोत्तम अभिलेख सदैव नियोक्ता के कब्ज़े में होता है।

''अनुशासनिक'' कार्रवाईयों पर

उच्चतम न्यायालय ने अनुशासनिक कार्रवाइयों के निपटने के दौरान भी नियोक्ता अनुकूल वशत्ति अपनाई है तथा नियोक्ता को ऐसे मामलों में मनचाही करने की पूरी छूट दी है। यहाँ भी न्यायालय ने कहा है कि कामगारों को सुरक्षा देने का एकतरफा मार्ग अनुचित है।

अनुशासनिक कार्रवाइयों के मामले में पहले उच्चतम न्यायालय ने एक सुधारवादी मनोवशत्ति अपनाई है, परन्तु अब यह मामला नहीं है। इन मामलों में अब न्यायालय ने बहुत तकनीकी रास्ता अपनाया है और एक सामान्य नियम के रूप में एक निवारक नीति अपनाई हैं। कर्मचारियों द्वारा कानून और व्यवस्था की समस्या पर कदाचार, लम्बी अनधिकृत अनुपस्थिति, तथाकथित कर्त्तव्यों के प्रति समर्पण की कमी, आत्मविश्वास की कमी और कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग को नौकरी से बरखास्त करने के लिए अत्यधिक सख्त दण्ड के लिए पर्याप्त माना गया है।

हाल ही में न्यायालय ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तथाकथित दुर्व्यवहार (विवाद के साथ पढ़ें) तथा कार्यस्थल पर सोते पाए जाने पर के लिए कर्मचारियों की बर्खास्तगी की कार्रवाई हेतु नियोक्ता को समर्थन देते हुए निर्णय घोषित किया है। बेनेट कोलमेन के दो कामगारों के मामले में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बताया कि न केवल कर्मचारी को बर्खास्त किया जाए, बल्कि उनकी ग्रेच्युटी (उपदान) भी ज़ब्त कर ली जाए। भारत फोर्ज द्वारा एक कर्मचारी की बर्खास्तगी को समर्थन देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की ''कार्य स्थल पर सोते पाए जाना सीमा तक कदाचार है जो बर्खास्तगी को उचित ठहराता है।'' महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के मामले में कामगार को उसके अधिकारी के विरुद्ध 'अभ्रद्र' भाषा के उपयोग से घटना के ग्यारह वर्ष बाद बर्खास्त कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि अभद्र भाषा का उपयोग सेवा से बर्खास्तगी के लिए पर्याप्त आधार बनाता है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले वाले निर्णयों में कहा कि ऐसा कानून जो केवल अवैध हड़ताल में भाग लेने या हड़ताल करना रोजगार से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो पंजाब नेशनल बैंक लि. विरुद्ध ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी संघ एआईआर 1960 एससी 160 और बर्न एण्ड कम्पनी लि. विरुद्ध उनके कामगार एआईआर 1959 एससी पश्ष्ठ 1111 के निर्णयों से स्पष्ट है कि यह कामगारों का अधिकार है कि वे हड़ताल पर जाएँ और किसी अवैध हड़ताल में केवल भाग लेने से कामगारों की सेवा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। उ.प्र. राज्य ब्रिज कॉर्पोरेशन लि. विरुद्ध उ.प्र. राज्य सेतु निगम कर्मचारी संघ (2004) 4 एससीसी 268 में यद्यपि न्यायालय एक चरम बिन्दु पर पहुँच गया और कहा कि यदि कामगार हड़ताल करके उसे जारी रखते हैं तथा सामान्य सूचनाओं के बावजूद काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो इसे सेवा से स्वैच्छिक निष्कासन माना जाएगा।

न्यायपालिका की जवाबदेही

यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने इस आशय की स्व–घोषणा की है कि ''न्यायपालिका की भूमिका है अन्य अंगों की कार्यशैली की देखभाल करना, ताकि वे अपने प्रक्षेत्रों का उल्लंघन नहीं करें।'' न्यायपालिका की जवाबदेही में कमी पर इंगित करते हु यह कहा गया है कि जबकि न्यायपालिका विधान मण्डल और कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण की रोकथाम का प्राधिकार रखती है तो न्यायपालिका द्वारा राज्य के अन्य अंगों के प्रक्षेत्र में अतिक्रमण को क्या कहा जाए।

प्रो. प्रभात पटनायक के अनुसार ''न्यायिक निर्णयों की बिना कोई प्रश्न उठाए स्वीकृति जो एक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की एक प्रारुपिक विशेषता है, जो न्यायपालिका के दश्ष्टिकोण से विद्यमान कानूनों के एक व्याख्याकर्ता के रूप में उभरती है, ना कि राष्ट्र की नैतिकता के रूप में। ''नैतिकता'' को लागू करना एक ऐसा कार्य है जो एक लोकतंत्र में केवल लोगों पर निर्भर करता है, ना कि ''कुछ चुनिन्दा लोगों पर'', जिन्हें निर्वाचित नहीं किया जा रहा, वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।''

यह ऐसा समय है जब देश के कामकाजी वर्ग और लोकतांत्रिक अभियान आम आदमी के मान से यह भ्रांति मिटाने का बश्हत अभियान चलाया जाए कि न्यायपालिका की स्थिति राज्य के अन्य अंगों से ऊँची है, इसकी कार्यशैली गैर–पक्षपाती है और यह नैतिकता की संरक्षक है। कामकाजी वर्ग पर न्यायपालिका द्वारा गिराई जा रही गाज के विरुद्ध एक लोकप्रिय अभियान शुरू करने के लिए यह अनिवार्य है कि ''वरिष्ठता'', ''गैर–पक्षपाती'' और ''नैतिकता'' का मुखौटा हटाकर लोगों को इस मुखौटे के नीचे वास्तविकता से परिचित कराया जाए।

सारांश

न्यायपालिका द्वारा कामगारों से हड़ताल का अधिकार वापस लेने का मार्ग सामूहिक बातचीत का एक बड़ा हथियार है और इसने उन्हें नियोक्ता की दया पर छोड़ दिया है। एक नियोक्ता–कर्मचारी संबंध के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए एक सुव्यवस्थित निर्णय अब पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया है और प्रबंधनों को बहुवार्षिक और स्थायी रोजगारों के लिए भी संविदा श्रमिक लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय नियोक्ताओं के पक्ष में कानूनों की व्याख्या का आश्रय लेता है क्योंकि यह अनुभव करता है कि कर्मचारियों को अस्थायी बनाए रखा जाए ताकि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के नाम पर अमानवीय शोषण के चलते कामकाजी वर्ग पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाए।

न्यायपालिका के वर्तमान व्यवहार की गहराई से संवीक्षा से जैसा निर्णयों में प्रकट होता है, इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि श्रमिक और पूँजीवाद के बीच कुल मिलाकर वर्ग संबंधी मुद्दों पर विवाद के मामलों में उदारीकरण पश्चात की अवधि में निर्णयों में नियोक्ता और सम्पन्न वर्ग के प्रति स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। परन्तु सबसे उल्लेखनीय और चेतावनीदायक बात है कि अनेक निर्णय संबंधित वर्तमान विधान और संविधान के परे चले गए हैं। इन निर्णयों से संबंधित श्रम से जुड़े मुद्दों पर बुनियादी विद्यमान कानूनों में संशोधन अधिरोपित किए गए हैं।

न्यायपालिका द्वारा उल्लंघन के ये कदम निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा स्थापित विधायिका के प्रक्षेत्र में राज्य द्वारा एक नियुक्त संरचना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक हैं। यहाँ तक कि बूर्जुवा लोकतंत्र के तहत कार्यपालिका, विधान मण्डल और न्यायपालिका के बीच अधिकारों के पश्थक्करण से अपेक्षित है कि प्रत्येक अंग संविधान द्वारा परिभाषित अपने प्रक्षेत्र में कार्य करे, किसी अन्य के क्षेत्र में उल्लंघन नहीं करे, ताकि एक संतुलन बनाए रखा जा सके तथा लोकतांत्रिक शासन में सौहार्द बना रहे।

''न्यायिक सक्रियता'' के कारण ''राज्य'' के विभिन्न स्कंधों द्वारा लगातार आगे बढ़ते कदम और सीमाओं के उल्लंघन करने से उक्त संभावनाओं को विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत गंभीर खतरा है। इस प्रकार सीमा रेखा का उल्लंघन अथवा न्यायपालिका द्वारा विधायिका की भूमिका हड़पना या निर्वाचित लोक प्रतिनिधि मंच पर प्रभुत्व कायम करने से लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रणालियों की ओर जाने की दिशा में विपथन के खतरे का संकेत है और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर आघात हो सकता है, यदि इसे जन आन्दोलन द्वारा प्रभावी रूप से संबोधित नहीं किया जाए।

कामकाजी वर्ग पर चौतराफा हमला कार्यस्थलों को वास्तविक गुलामी के उपजाऊ मैदानी में बदलने के लिए तैयार किया गया है है, इस प्रकार यह लोगों और श्रम अधिकारों को दमित करने में 'राज्य' के गैर–निर्वाचित स्कंधों के सक्रिय कार्य और आधुनिक प्रतिनिधि 'राज्य' के निर्वाचित अंग द्वारा झेली जा रही बाधाएँ दर्शाता है। इससे लोकतंत्र की वापसी की प्रक्रिया के स्थान पर उदासीनीकरण के खतरे का संकेत मिलता है। अधिकारों की रक्षा के संघर्ष में कामकाजी वर्ग को समझा जाए और सन्निकट चुनौतियों को स्पष्ट रूप से समझ कर लड़ा जाए।

विचार–विमर्श की आवश्यकता

यह महत्वपूर्ण है कि विचार विमर्श के दौर में हमें अपने दृष्टिकोण और अनुभव न्यायपालिका की मनोवृत्ति में आए

वर्तमान बदलाव पर केन्द्रित रखने चाहिए ताकि आम व्यक्तियों तथा विशेष रूप से कामकाजी वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों पर न्यायपालिका के आक्रमण के खतरे के बारे में एक केन्द्रीय बिन्दु तक पहुँचा जा सके।

हमें आगे ठोस समझ विकसित करने की ज़रूरत है कि अंतिम विश्लेषण न्यायिक सक्रियता हमारे राज्यतंत्र की लोकतांत्रिक संरचना के लिए एक संभावित खतरा है। न्यायपालिका को राजनैतिक नैतिकता का एक संरक्षक मानना ''परोपकारी तानाशाही'' का संभावित खतरा है।

यह एक अनिवार्य तात्कालिकता है कि कार्य को अभिज्ञात किया जाए और इस व्यापक मान्यता को प्रभावी रूप से दूर हटाने की कार्यनीति बनाई जाए कि : (i) न्यायपालिका ''राज्य के अन्य दो अंगों'' की तुलना में श्रेष्ठ है– विधान मण्डल और कार्यपालिका तथा (ii) यह (न्यायपालिका) विधानों की सीमा में रहकर कार्य करती है, वह भी ''बिना किसी पक्षपात के।''

यह गलत अवधारणा आम आदमी के मन में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में भ्रम पैदा करती है। लोगों को न्यायपालिका के कामकाजी वर्ग विरोधी पूर्वग्रह के विरुद्ध एक बृहत स्तर पर प्रेरित करने के लिए हमें लोगों को न्यायपालिका के श्रमिक विरोधी पूँजीवादी उन्मुख चरित्र से परिचित कराने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। उक्त अभियान के लिए कार्यनीति विचार–विमर्शों पर केन्द्रित होनी चाहिए।

इस बीच हमें न्यायपालिका से संबंधित विक्षुब्धकारी विकासों पर विचार करने के लिए एक ''न्यायपालिका सुधार आयोग'' की नियुक्ति के प्रश्न से भी निपटना है और न्यायपालिका को लोगों के लोकतांत्रिक समाज के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए प्रक्रिया सुझानी है। यह कार्य ''माननीय न्यायधीश'' के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात उजागर होने के ध्यान में रखकर पूरी तरह से अनिवार्य हो गया है।

कामकाजी वर्ग के सामने देश में न्यायपालिका द्वारा कामकाजी वर्ग विरोधी लम्बी फटकार से उभरी चुनौतियों को संबोधित करने का कार्य मासिक समीक्षा, मई 2005 में कॉमरेड ज्योति बासु के वक्तव्य में भली–भांति उभर कर आया ''ट्रेड यूनियनों को मिलकर उच्चतम न्यायालय के विचारों को बदलना है। ''पर्यावरण अनुकूल'' के नाम पर पर्यावरण या सरकार को अस्थिर नहीं करने के लिए, इस विनाशकारी नीति को खुली चुनौती दी जाए, यदि वर्ग विरोधी को लोकतांत्रिक अधिकारों का आदर करने के लिए मजबूर करना है। अब समय आ गया है कि न्यायपालिका को एक सबक सिखाया जाए।